# हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण

# की

# ऑडिट रिपोर्ट

# अवधि

# वर्ष 2013–14 व 2014–15

# एंव

# वर्ष 2015–16 व 2016–17

Scanned with CamScanner

मुख्य लेखा परीक्षा टिप्पणीयां विस्तृत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

## हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

### अवधि – वर्ष 2013–14 से 2016–17

| चयनित माह | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 |
|---|---|---|---|---|
| आय– | अक्टूबर | नवम्बर | फरवरी | मई |
| | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 |
| व्यय – | अप्रैल, अक्टूबर, | अप्रैल, अक्टूबर | जुलाई, मार्च | अक्टूबर, मार्च |

आपत्ति कमांक– 1.

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 16,890 को राजकोष में जमा नहीं किया जाना–**

प्राधिकरण के रसीद बुकों की जांच में पाया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सम्परीक्षा अवधि में रू0. 16890/– प्राप्त हुई थी, जो प्राधिकरण के खाते में जमा किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (सामान्य नियम वेतन आयोग) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/xxvii(7)/2006 दिनांक 14.10.2005 के प्रस्तर (3) के अनुसार प्राप्त धनराशि को रोकड़ बही में प्रविष्ट कर एक सप्ताह के अन्दर सुसंगत लेखा शीर्षकों के अधीन राजकोष में जमा किये जाने का प्राविधान था का पालन प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया।

सुसंगत लेखा शीर्षक–0070 – अन्य प्रशासनिक सेवा में 60– अन्य सेवायें, 800 अन्य /प्राप्तियां, 06 अन्य / प्राप्तियां, 00

चालान प्रथल संख्या–43 ए (1) द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सम्परीक्षा अवधि से पूर्व प्राप्त धनराशि को भी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**विभाग का उत्तर:–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि पूर्व में भी इस प्रकार राजकीय कोषागार में सूचना आवेदन शुल्क जमा कराने का प्रकरण आया था। प्राधिकरण द्वारा सूचना आवेदन शुल्क ट्रेजरी को जमा कराये जाने हेतु संदर्भित हैड के साथ प्रेषित किया गया था किन्तु कोषागार द्वारा यह कहते हुए धनराशि जमा कराने से मना कर दिया गया कि यदि धनराशि की रसीद कोषागार द्वारा जारी रसीद के माध्यम से जमा कराई गयी है तो ही इसे कोषागार में जमा कराया जा सकता है। चूंकि प्राधिकरण एक ऑटोनोमस विभाग है जिसे शासन द्वारा कोई अनुदान प्रदान नही किया जाता हैं और नही ही प्राधिकरण का कोषागार में कोई लेखा शीर्षक न होने के कारण कोषागार द्वारा कोषागार रसीद निर्गत नहीं की गयी है। जिस कारण सम्बन्धित शुल्क प्राधिकरण कोषागार में जमा नहीं कराया जा रहा है। अतः तदनुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

| | | |
|---|---|---|
| अनिल कुमार सक्सेना<br>प्रशासनिक अधिकारी<br>हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण<br>हरिद्वार | सहायक अभियन्ता<br>हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण<br>हरिद्वार | मुख्य वित्त अधिकारी<br>हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण<br>हरिद्वार |

Scanned with CamScanner

458

आपत्ति कमांक– 2.

**विकास शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रू0 6826/–**

पत्रावली संख्या ने0/हरि0–251/2012–13 में श्री पुनीत सैनी, डायरेक्टर श्री बडी बिल्डर्व प्रा0 लि0 ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा खसरा संख्या 78/1/2 मि0 विकास का लोनी, ग्राम शेखपुरा, कनखल हरिद्वार में पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या मान/हरि0/500–233/12–13 की स्वीकृति के विपरित लिए गए अनाधिकृत निर्माण को शमन उपनिधि के अन्तर्गत शमन किया गया था। जिसके सापेक्ष शमन शुल्क इत्यादि की गणन कर रसीद संख्या 82/699 दिनांक 15.11.2014 द्वारा रू0 703150/– तथा रसीद संख्या 95/700 दिनांक 05.12.2014 द्वारा रूपये 10429/– कुल रूपये 713549/– जमा कराया गया था। उक्त धनराशि में अन्य के अतिरिक्त विकास शुल्क 189.62 वर्ग मीटर हेतु रू0. 55+55 = 110/– की दर से 20,858/– वसूल किया गया था। जबकि पूर्व स्वीकृत मानचित्र में विकास शुल्क की दर रू0 146/– प्रति वर्ग मीटर (रेगुलाईज कालोनी) अंकित थी। इस प्रकार विकास शुल्क रू0 146/– के स्थान पर रू0 110/– की दर से विकास शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप रू0. 6,826–00 की आर्थिक क्षति।

**विभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि विकास शुल्क में कम जमा धनराशि रू0. 6,826–00 को विपक्षी द्वारा दिनांक 26.03.2018 को रसीद संख्या 152/37 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराया जा चुका है। अतः तदनुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–3.

**फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही शमन की कार्यवाही किया जाना।**

अनधिकृत निर्माण सम्बन्धि अपराध विषयक शमन उपविधि विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन अविधि –1996 जो दिनांक 22.8.1996 से प्रभावी था की टिप्पणी कमांक 2 जहां फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसकी प्राप्ति के पश्चात ही शमन करने की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा का उल्लेख था।

नो0/हरि0/152/14–15 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि श्री जितेन्द्र वाधवा एवं राकेष पूरी, पुराना आरटीओ आफिस भूपतवाला आदि शावर्त पब्लिक स्कूल के समीप, हरिद्वार के विरूद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास प्राधिकरण 1973 की धारा – 27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं धारा 28 (1) के अर्न्तगत विकास कार्य रोकने का आदेश दिनांक 19.9.14 प्रेषित किया गया था। नोटिस के उत्तर में विपक्षी द्वारा अपने अनधिकृत निर्माण को शमन किए जाने हेतु शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.9.14 के साथ शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत मानचित्र पर अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का मानचित्र होटल निर्माण हेतु स्वीकृत है। शमन की कार्यवाही करते हुए रू0 593405/– (शमन शुल्क रू0 484954, विकास शुल्क रू0 102258, पर्यवेक्षण शुल्क रू0 1158 एवं शमन आवेदन शुल्क रू0 5035/–) प्राधिकरण कोष में रसीद संख्या 700/05/18.11.14 विपक्षी द्वारा जमा किया गया। शमन किए जाने से पूर्व विपक्षी से भूकम्परोधी प्रमाण पत्र एवसं अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय पत्रांक 2432/नो0/हरि0/152/2014–15 दिनांक 15 नवम्बर 2014 द्वारा जमा कराए जाने हेतुं पत्र प्रेषित

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

था। विपक्षी को शमन किए जाने से पूर्व भूकम्परोधी प्रमाण पत्र , अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शमन शुल्क जमा करने के आदेश निर्गत थे, के कम में विपक्षी द्वारा शमन शुल्क जमा करने के साथ भवन सुरक्षा हेतु भूकम्परोधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

अग्निशमन की अनापत्ति हेतु शपथ पत्र दिनांक 17.11.14 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्नि शमन विभाग का अंतिम प्रमाण पत्र मिल पाता है।

दिनांक 22.11.14 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शमन शुल्क एवं भूकम्प–रोधी प्रमाण के आधार पर मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया था।

अभिलेखिय– पुष्टि की जाय कि भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शमन में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भी निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं। फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र विपक्षी द्वारा प्राप्त कर पत्रावली में संचित किया जाए।

अवगत कराया जाए कि विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि 1996 टिप्पणी–2 जहां फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति के पश्चात ही शमन करने की कार्यवाही की जानी थी।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि निर्माण शमन करते समय भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। अग्नि शमन विभाग द्वारा प्रस्तावना पर जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है वह प्रोविजन्ल होता है। अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन का उपयोग करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अग्नि शमन विभाग का पूर्णतः प्रमाण पत्र भवन का उपयोग प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सशपथ बयान के आधार पर शमन मानचित्र निर्गत किया गया है जो उचित है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–4.

**विनियोजन रू0 342939772–00 की पुष्टि की जाय की निम्नलिखित सावधि जमा के अतिरिक्त अन्य और कोई विनियोजन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।**

| क्र0 सं0 | बैंक का नाम | सावधि जमा रसीद नं0/ दिनांक | परिपक्वता तिथि | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 205093/20.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 2 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 204385/18.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 3 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 205091/18.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 4 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 195780/18.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 5 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 205090/17.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 6 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 195777/17.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 7 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार। | 204377/17.10.16 | 20.10.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 8 | पंजाब नेशनल बैंक | 658600pv0003759/11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 658600pv00037510/11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 10 | पंजाब नेशनल बैंक | 658600pv00037529/11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 11 | पंजाब नेशनल बैंक | 658600pv00037538/11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 12 | पंजाब नेशनल बैंक | 11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

456

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | पंजाब नेशनल बैंक | 658600pv00037556 / 11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 14 | पंजाब नेशनल बैंक | 658600pv00037565 / 11.03.17 | 11.03.17 | रू0 99,00,000.00 |
| 15 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 6749577 / 29.10.16 | 29.10.17 | रू0 3,91,71,710.00 |
| 16 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 6749576 / 29.10.16 | 29.10.17 | रू0 4,57,00,332.00 |
| 17 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 6749627 / 207.11.16 | 07.10.17 | रू0 1,06,08,706.00 |
| 18 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 6700819 / 11.11.16 | 11.10.17 | रू0 3,14,98,297.00 |
| 19 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 6700819 / 11.11.16 | 11.10.17 | रू0 3,14,98,303.00 |
| 20 | ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | 5579203 / 22.11.16 | 22.10.17 | रू0 4,58,62,424.00 |
| | | योगः– | 342939772.00 | |

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त कोई विनियोजन नहीं कया गया हैं। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–5.

**विनियोजनों को यथा समय पुनर्विनियोजित न कराए जाने के फलस्वरूप ब्याज की क्षतिः–**

विनियोजनों की जांच में पाया गया कि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, जगजीतपुर हरिद्वार शाखा में सावधि जमा रसीद संख्या 3700819 एवं 6700820 क्रमशः दिनांक 27.10.16 एवं 27.10.16 धनराशि रू0 2,93,87,469/– एवं रू0 2,93,87,474/– के रूप में विनियोजित थे। उक्त दोनों विनियोजनों की परिपक्वता तिथि 27.10.2016 थी। इन सावधि जमाओं को परिपक्वता तिथि पर पुनर्विनियोजित न कर 15 दिन विलम्ब से दिनांक 11.11.2016 को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को 15 दिन के ब्याज की क्षति हुई।

रू0. 29387469/–
रू0. 29387469/–

कुल रू0. $58774938 \times \frac{7.15}{100} \times \frac{15}{365} = 172701.70$

2. इसी प्रकार ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स ज्वालापुर शाखा में सावधि जमा रसीद सं0 5579203 दिनांक 29.10.15 रूपये 42741737 विनियोजित थे, जिसकी परिपक्वता तिथिा विलम्ब से दिनांक 22.11.16 को सावधि जमा को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके फलस्वरूप 24 दिन के ब्याज की क्षति हुई।

$42741737 \times \frac{7.15}{100} \times \frac{24}{365} = 200944.70$

उपरोक्तानुसार कुल रू0 373646.40 (172701.70 + 200944. 70) की आर्थिक क्षति हुई।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि बैंक द्वारा विलम्ब अवधि हेतु तत्समय लागू ब्याज दर 6.25 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान प्राधिकरण को किया गया है। बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त अवधि में ब्याज की क्षति नहीं हुई है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति कमांक–6.

**हरिलोक अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय रू0 25,14,590/–**

प्राप्ति एवं भुगतान विवरणों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा हरिलोक आवासीय कालोनी के अनुरक्षण पर वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में कमशः रू0 10,51,797.00, रू0 10,32,929.00, रू0 11,02,695.00 एवं रू0 14,72,506.00 कुल रू0 4659927.00 व्यय किया गया था, जबकि सम्बन्धित वर्षो में कमशः रू0 876120.00, रू0 756386.00 एवं रू0 277090.00 कुल 2145337.00 की आय हरिलोक अनुरक्षण मद में प्राप्त थी। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–7 के अनुसार प्राधिकरण के उद्देश्यों/कर्तव्यों में आवासीय कालोनी का अनुरक्षण करना सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक रू0. 4659927– रू0. 2145337 = रू0 2514590/– का अनियमित व्यय किया गया जो प्राधिकरण के आर्थिक हितों के प्रतिकुल था।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने के कारण उक्त कालोनी का हस्तान्तरण न होने की दशा में उक्त कालोनी में पानी विद्युत एंव सीवर पम्प, सम्पवेल, वाटर टैंक का अनुरक्षण एंव सामुदायिक केन्द्र की सुरक्षा पर जन सामान्य सुविधाओं के दृष्टिगत तथा किसी स्थानीय निकाय सीमा के अन्तर्गत न होने कारण प्रश्नगत व्यय व्यापक जनहित में किया गया है। वर्तमान में उक्त कालोनी नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत है। अधिसूचना प्राप्त होने पर उक्त कालोनी का हस्तान्तरण नगर निगम हरिद्वार को कर दिया जायेगा। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–7.

**भवन निर्माण अग्रिम के सापेक्ष भूखण्ड बन्धक रखने की कार्यवाही न किया जानाः–**

चैक संख्या 296283 (ओ0बी0सी0–10) दिनांक 24.06.2016 द्वारा श्री रमेश चन्द्र जोशी, अवर अभियन्ता को भवन निर्माण हेतु रू0 7,50,000/– अग्रिम भुगतान किया गया था। प्राधिकरण पत्रांक 597/प्रशा01 (ग) 27/2014 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री रमेश चन्द्र जोशी, अवर अभियन्ता को रू0 750000/– भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया था। उक्त पत्र की शर्त संख्या 3 में प्रावधान किया गया था कि स्वामित्व प्रमाण पत्र (विकय विलेख) तथा स्वीकृत मानचित्र के कुल रूप में जमा कराते हुए भूखण्ड को प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक कराना होगा। श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा विकय विलेख एवं मानचित्र कार्यालय में जमा करा दिए गए परन्तु बन्धक रखने की कार्यवाही नहीं की गयी। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5–भाग के प्राविधानुसार भूखण्ड बन्धक रखने की कार्यवाही अपेक्षित थी।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि श्री रमेश चन्द्र जोशी अवर अभियन्ता को भवन निर्माण हेतु रू0. 7,50,000–00 का अग्रिम ऋण का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया गया था। जिसमें श्री रमेशचन्द्र जोशी द्वारा भूखण्ड के विकय अभिलेख के साथ रू0. 100–00 के स्टाम्प पेपर पर प्राधिकरण में बन्धक की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु अवलोकनार्थ प्रेषित है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति कमांक–8.

**वित्तीय स्थितिः– आलोच्य अवधि में प्राधिकरण की वित्तीय स्थित निम्नवत थीः–**

| क0सं0 | | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अप्रैल का प्रतिशेष | 47,38,52,684.20 | 485920682.32 | 539680989.69 | 627998975.81 |
| 2 | वर्ष की आय | 190497001.77 | 160768118.23 | 192362564.71 | 141787227.99 |
| | योग | 664349685.97 | 646688800.55 | 732043553.40 | 769786203.80 |
| | | 178429003.65 | 107007810.86 | 104044578.59 | 115358588.77 |
| | | 485920682.32 | 539680989.69 | 627998975.81 | 654427615.03 |
| | | | | | 23393612.00 |
| | | | | | 0.33 |
| | | | | | 677821227.36 |
| | | | | | 76779.00 |
| | | | | | |
| | | | | | 72.00 |
| | | | | | |
| | | | | | 67774437.36 |
| | | | | | |
| | | | | | 36528910.58 |
| | | | | | 22867690.80 |
| | | | | | 1872503.82 |
| | | | | | 32599919.00 |
| | | | | | 198566.04 |
| | | | | | 102032846.55 |
| | | | | | 20101782.92 |
| | | | | | 11064836.41 |
| | | | | | 9906545.58 |
| | | | | | 56721047.00 |
| | | | | | 346787601.00 |
| | | | | | 12217517.00 |
| | | | | | 22000149.16 |

1. रोकड बही, लेजर में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गयी हैं।
2. रोकड बही शेष सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थे।
3. पी0एन0बी0 की पास बुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण इसके अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा सका।

वर्ष 2011–12 से 2012–13 में भी आपत्ति उद्घाटित किया गया था।

**विभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 20116–17 तक की रोकड बही, लेजर में सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित कराते हुए सत्यापन करा दिया गया है। जिसका अवलोकन सम्परीक्षा दौरान सम्परीक्षा अधिकारी को कराया जा चुका है। अतः तदनुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

जगदीश कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति क्रमांक–9.

**भवन मानचित्र आवेदन शुल्क प्राधिकरण द्वारा कम दर से लिए जाने से आर्थिक क्षति–**

पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि 300 वर्ग मी0 से अधिक के भूखण्डों पर प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास/आवास अनुभाग के शासनादेश संख्या–4697/वी/250वि0–आ0–2004–808 सा0) 2003 दिनांक 19 अक्टूबर/2004 द्वारा राज्य के विकास प्राधिरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया था। के परिशिष्ट 1 (1.1)(क) आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 तक रू0 100.00,101 से 200 वर्ग मी0 तक रू0 200.00, 201 से 300 वर्ग मी0 तक रू0 300.00 तथा उसके पश्चात रू0 2.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो लिए जाने का प्राविधान को आर्थिक क्षति हो रही थी प्राधिकरण द्वारा निम्नवत कम भवन मानचित्र आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया था।

| क0 सं0 | मानचित्र पत्रावली संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0) | प्राप्त आवेदन शुल्क | आवेदन शुल्क जो वसूल किया जाना था | कम वसूल किया गया आवेदन शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर0एस0–17/133/2013–14 | 474.88 | 685–35=650 672/75/ 3.10.13 | 950 | 300 |
| 2 | आर0एस0–113/310/2015–16 | 450.02 | 638–35=603 | 902 | 299 |
| 3 | आर0एस0–114/311/2015–16 | 489.74 | 715–35=680 | 980 | 300 |
| 4 | आर0एस0–09/14/2016–17 | 362.47 | 462–35=427 | 726 | 299 |
| 5 | आर0एस0–31/573/2016–17 | 337.30 | 412–35 | 676 | 299 |
| 6 | आर0एस0–32/58/2016–17 | 344.25 | 565–35 | 690 | 160 |
| 7 | आर0एस0–39/73/2016–17 | 351.36 | 440–35 | 704 | 299 |
| 8 | आर0एस0–40/74/2016–17 | 402.08 | 541–35 | 806 | 300 |
| 9 | आर0एस0–51/92/2016–17 | 341.77 | 419–35 | 684 | 300 |
| 10 | आर0एस0–62/111/2016–17 | 509.23 | 755–35 | 1020 | 300 |
| 11 | आर0एस0–100/168/2016–17 | 377.60 | 492–35 | 756 | 299 |
| 12 | आर0एस0–102/171/2016–17 | 521.08 | 910–35 | 1044 | 169 |
| 13 | आर0एस0–104/173/2016–17 | 510.30 | 757–35 | 1022 | 300 |
| 14 | आर0एस0–164/255/2016–17 | 349.96 | 505–35 | 700 | 230 |
| 15 | एस0डब्ल्यू0–74/2015–16 | 355.63 | 448–35 | 712 | 299 |
| 16 | एस0डब्ल्यू0–87/2015–16 | 389.95 | 515–35 | 780 | 300 |
| 17 | एस0डब्ल्यू0–103/2015–16 | 317.86 | 372–35 | 636 | 299 |
| 18 | एस0डब्ल्यू0–105/2015–16 | 409.24 | 555–35 | 420 | 100 |
| 19 | एस0डब्ल्यू0–108/2015–16 | 445.97 | 628–35 | 892 | 299 |
| 20 | एस0डब्ल्यू0–109/2015–16 | 792.44 | 1322–35 | 1586 | 299 |
| 21 | आर0एस0–31/132/2015–16 | 304.42 | 346–35 | 610 | 299 |
| 22 | आर0एस0–34/135/2015–16 | 349.68 | 435–35 | 700 | 300 |
| 23 | आर0एस0–35/136/2015–16 | 349.49 | 435–35 | 700 | 300 |
| 24 | आर0एस0–36/137/2015–16 | 349.86 | 435–35 | 700 | 300 |
| 25 | आर0एस0–37/138/2015–16 | 349.49 | 435–35 | 700 | 300 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | आर0एस0–47 / 153 / 2015–16 | 415.07 | 625–35 | 832 | 242 |
| 27 | आर0एस0–48 / 154 / 2015–16 | 324.00 | 383–35 | 648 | 300 |
| 28 | एस0डब्ल्यू0– / 203 / 2015–16 | 474.88 | 685–35 | 950 | 300 |
| 29 | आर0एस0–74 / 219 / 2015–16 | 330.98 | 400–35 | 662 | 297 |
| 30 | आर0एस0–78 / 228 / 2015–16 | 1112.02 | 1982–35 | 2226 | 279 |
| 31 | एस0डब्ल्यू0–254 / 2013–14 | 326.50 | 390–35 | 654 | 299 |
| 32 | आर0एस0–91 / 261 / 2015–16 | 2100.93 | 3035–35 | 4202 | 1202 |
| 33 | आर0एस0–103 / 287 / 2015–16 | 938.11 | 1614–35 | 1878 | 299 |
| 34 | एस0डब्ल्यू0–37 / 2014–15 | 513.71 | 763–35 | 1028 | 300 |
| 35 | एस0डब्ल्यू0–38 / 2014–15 | 303.75 | 345–35 | 608 | 298 |
| 36 | एस0डब्ल्यू0–53 / 2014–15 | 323.00 | 381–35 | 646 | 300 |
| 37 | आर0एस0–04 / 56 / 2014–15 | 440 | 635–35 | 880 | 280 |
| 38 | आर0एस0–06 / 2014–15 | 417.05 | 650–35 | 836 | 221 |
| 39 | आर0एस0–13 / 88 / 2014–15 | 786.86 | 1310–35 | 1574 | 299 |
| 40 | आर0एस0–34 / 219 / 2014–15 | 404.268 | 552–35 | 810 | 293 |
| 41 | एस0डब्ल्यू0–220 / 2014–15 | 495.88 | 728–35 | 992 | 299 |
| 42 | एस0डब्ल्यू0–53 / 2013–14 | 396.78 | 530–35 | 794 | 299 |
| 43 | एस0डब्ल्यू0–69 / 2013–14 | 474.88 | 685–35 | 950 | 300 |
| 44 | एस0डब्ल्यू0–75 / 2013–14 | 497.66 | 732–35 | 996 | 299 |
| 45 | एस0डब्ल्यू0–93 / 2013–14 | 316.08 | 370–35 | 634 | 299 |
| 46 | एस0डब्ल्यू0–118 / 2013–14 | 332.29 | 405–35 | 666 | 296 |
| 47 | एस0डब्ल्यू0–172 / 2013–14 | 464.51 | 665–35 | 930 | 300 |
| 48 | एस0डब्ल्यू0–182 / 2013–14 | 352.626 | 443–35 | 706 | 298 |
| 49 | एस0डब्ल्यू0–193 / 2013–14 | 410.88 | 557–35 | 822 | 300 |
| 50 | एस0डब्ल्यू0–198 / 2013–14 | 375.68 | 487–35 | 752 | 300 |
| 51 | एस0डब्ल्यू0–204 / 2013–14 | 388.16 | 509–35 | 778 | 304 |
| 52 | एस0डब्ल्यू0–236 / 2013–14 | 502.99 | 742–35 | 1006 | 299 |
| 53 | एस0डब्ल्यू0–253 / 2013–14 | 587.73 | 358–35 | 1176 | 853 |
| 54 | एस0डब्ल्यू0–254 / 2013–14 | 308.76 | 354–35 | 618 | 299 |
| 55 | एस0डब्ल्यू0–277 / 2013–14 | 445.32 | 560–35 | 892 | 367 |
| 56 | एस0डब्ल्यू0–292 / 2013–14 | 329.84 | 395–35 | 660 | 300 |
| 57 | एस0डब्ल्यू0–303 / 2013–14 | 319.53 | 375–35 | 640 | 300 |
| 58 | /3/06/13–14 | 322.23 | 381–35 | 646 | 300 |
| 59 | /7/11/13–14 | 421.78 | 579–35 | 844 | 300 |
| 60 | /13/17/13–14 | 302.04 | 339–35 | 606 | 302 |
| 61 | /12/17/13–14 | 388.70 | 513–35 | 778 | 300 |
| 62 | /7/23/13–14 | 319.20 | 375–35 | 640 | 300 |
| 63 | /15/17/13–14 | 384.83 | 505–35 | 770 | 300 |
| 64 | /16/21/13–14 | 360.82 | 455–35 | 722 | 302 |
| 65 | आर0एस0/17/22/14–15 | 364.80 | 465–35 | 730 | 300 |
| 66 | आर0एस0/23/14–15 | 334.48 | 405–35 | 670 | 300 |
| 67 | आर0एस0/36/14–15 | 421.56 | 637–35 | 844 | 242 |
| 68 | एस0डब्ल्यू0/5/15–16 | 576.35 | 889–35 | 1154 | 300 |
| 69 | आर0एस0/19/27/15–16 | 483.16 | 703–35 | 968 | 300 |
| 70 | आर0एस0/22/30/15–16 | 692.18 | 1121–35 | 1386 | 300 |

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | आर0एस0 / 26 / 34 / 15–16 | 344.08 | 425–35 | 690 | 300 |
| 72 | आर0एस0 / 27 / 35 / 15–16 | 324.00 | 383–35 | 648 | 300 |
| 73 | आर0एस0 / 5 / 05 / 16–17 | | 1119–35 | | |
| 74 | आर0एस0 / 23 / 23 / 16–17 | | 457–35 | | |
| 75 | आर0एस0 / 24 / 24 / 16–17 | 7228.55 | 14193–35 | 14458 | 300 |
| 76 | आर0एस0 / 25 / 25 / 16–17 | 6975 | 13665–35 | 13950 | 320 |
| 77 | आर0एस0 / 26 / 26 / 16–17 | 730.75 | 1137–35 | 1462 | 360 |
| 78 | आर0एस0 / 33 / 33 / 16–17 | 317.29 | 371–35 | 636 | 300 |
| 79 | आर0एस0 / 34 / 34 / 16–17 | 434.00 | 603–35 | 868 | 300 |
| 80 | आर0एस0 / 38 / 38 / 16–17 | 404.60 | 545–35 | 810 | 300 |
| 81 | आर0एस0 / 49 / 49 / 16–17 | 364.46 | 471–35 | 730 | 294 |
| 82 | आर0एस0 / 59 / 59 / 16–17 | 494.27 | 725–35 | 990 | 300 |
| 83 | आर0एस0 / 61 / 16–17 | 300.39 | 337–35 | 602 | 300 |
| 84 | आर0एस0 / 75 / 75 / 16–17 | 805.96 | 1347–35 | 1612 | 300 |
| 85 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–27 / 14–15 | 334.52 | 435–35 | 670 | 270 |
| 86 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–99 / 14–15 | 371.21 | 480–35 | 744 | 299 |
| 87 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–110 / 14–15 | 667.66 | 135–35 | 1336 | |
| 88 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–275 / 14–15 | 301.82 | 335–35 | 604 | 304 |
| 89 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–286 / 14–15 | 304.83 | 345–35 | 610 | 300 |
| 90 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–333 / 14–15 | 308.26 | 355–35 | 618 | 298 |
| 91 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–346 / 14–15 | 381.97 | 500–35 | 764 | 299 |
| 92 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–1155 / 14–15 | | 355–35 | 618 | 298 |
| 93 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–1213 / 15–16 | 309.72 | 335–35 | 620 | 320 |
| 94 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–120 / 15–16 | 358.60 | 455–35 | 718 | 298 |
| 95 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–250 / 15–16 | 343.63 | 517–35 | 688 | 206 |
| 96 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–308 / 15–16 | 305.30 | 345–35 | 612 | 302 |
| 97 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–357 / 15–16 | 336.32 | 410–35 | 674 | 299 |
| 98 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–450 / 15–16 | 324.06 | 385–35 | 650 | 270 |
| 99 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–561 / 15–16 | 361.46 | 460–35 | 724 | 299 |
| 100 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–590 / 15–16 | 351.15 | 437–35 | 704 | 302 |
| 101 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–612 / 15–16 | 329.31 | 395–35 | 660 | 300 |
| 102 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–791 / 15–16 | 1824.15 | 3400–35 | 3650 | 285 |
| 103 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–943 / 15–16 | 321.72 | 380–35 | 644 | 299 |
| 104 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–1262 / 16–17 | 554.12 | 845–35 | 1110 | 300 |
| 105 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–72 / 16–17 | 321.72 | 380–35 | 644 | 299 |
| 106 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–108 / 16–17 | 349.89 | 435–35 | 700 | 300 |
| 107 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–141 / 16–17 | 675.15 | 1100–35 | 1352 | 287 |
| 108 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–187 / 16–17 | 379.04 | 495–35 | 760 | 300 |
| 109 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–201 / 16–17 | 556.45 | 850–35 | 114 | 299 |
| 110 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–208 / 16–17 | 327.13 | 391–35 | 656 | 300 |
| 111 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–328 / 16–17 | 301.45 | 340–35 | 604 | 299 |
| 112 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–424 / 16–17 | 666.33 | 1070–35 | 1334 | 299 |
| 113 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–427 / 16–17 | 469.20 | 675–35 | 940 | 300 |
| 114 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–554 / 16–17 | 341.63 | 419–35 | 684 | 300 |
| 115 | मान0 / रूड़की / आर0एस0–615 / 16–17 | 307.32 | 351–35 | 616 | 30 |

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | मान0/रूड़की/आर0एस0–616/16–17 | 359.36 | 455–35 | 720 | 300 |
| 117 | मान0/रूड़की/आर0एस0–620/16–17 | 728.00 | 1200–35 | 1456 | 291 |
| 118 | मान0/रूड़की/आर0एस0–747/16–17 | 343.25 | 425–35 | 688 | 298 |
| 119 | मान0/रूड़की/आर0एस0–896/16–17 | 333.26 | 405–35 | 668 | 298 |
| 120 | मान0/रूड़की/आर0एस0–1053/16–17 | 314.64 | 365–35 | 630 | 300 |
| 121 | मान0/रूड़की/आर0एस0–1075/16–17 | 306.58 | 350–35 | 614 | 299 |
| 122 | मान0/रूड़की/आर0एस0–1114/16–17 | 342.01 | 421–35 | 686 | 300 |
| 123 | मान0/रूड़की/आर0एस0–458/16–17 | 372.01 | 479–35 | 746 | 302 |

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र आवेदन शुल्क शासन के शासनादेश संख्या 4697 दिनांक 19.10.2004 में निर्धारित शुल्कों के आधार पर ही आवेदन शुल्क प्राप्त किये जा रहे हैं। शासनादेश में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रति अंश मीटर या उसके अंश पर रू0. 2–00 की दर से आरोपित किया जाए। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–10.

उप विभाजन शुल्क सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्र पर न लिए जाने से रू0 4,87,995/– की आर्थिक क्षतिः–

प्राधिकरण द्वारा अपविभाजन शुल्क (सब डिविजन शुल्क) सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल पर न लेकर सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र को कम करते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्रफल पर आगमन कर लिया गया था, जिससे चौड़ीकरण क्षेत्र को कम करते हुए उपविभाजन शुल्क लिए जाने से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति हुई थी कतिपय उदाहरण निम्नवत हैः–

| क0 सं0 | मानचित्र पत्रावली संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0) | सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र (वर्ग मी0) | शेष क्षेत्रफल (वर्ग मी0) | सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र पर उपविभाजन शुल्क की गणनाए क्षेत्र xसर्किल रेट xप्रतिशत | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरि0/187/2014–15 | 159.00 | 8.96 | 150.04 | 8.96X2600X1% | 2330.00 |
| 2 | हरि0/191/2014–15 | 41.86 | 5.40 | 36.47 | 5.392x15200x3% | 2459.00 |
| 3 | हरि0/119/2014–15 | 133.37 | 5.25 | 128.12 | 5.25x15000x1% | 788.00 |
| 4 | हरि0/106/2014–15 | 292.57 | 42.59 | 249.98 | 42.59x45000x1% | 19166.00 |
| 5 | हरि0/157/2014–15 | 222.95 | 27.43 | 195.52 | 27.43x11500x1% | 3154.00 |
| 6 | हरि0/20/2014–15 | 248.79 | 1.78 | 247.01 | 1.78X18500X1% | 329.00 |
| 7 | हरि0/160/2014–15 | 151.43 | 14.81 | 136.62 | 14.81x12700x1% | 1881.00 |
| 8 | हरि0/120/2014–15 | 148.69 | 21.18 | 127.51 | 21.18X12700X1% | 2690.00 |
| 9 | हरि0/286/2014–15 | 158.10 | 19.08 | 139.02 | 19.08x36200x1% | 6907.00 |
| 10 | हरि0/162/2014–15 | 92.93 | 11.05 | 81.88 | 11.05x12000x3% | 3978.00 |
| 11 | हरि0/130/2014–15 | 249.32 | 43.77 | 205.51 | 43.77X8000X3% | 10505.00 |
| 12 | हरि0/152/2014–15 | 96.65 | 30.72 | 65.93 | 30.72x8000x3% | 7373.00 |
| 13 | हरि0/180/2014–15 | 214.47 | 28.83 | 185.64 | 28.83X15600X3% | 13942.00 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
रूड़की विकास प्राधिकरण

AE
सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | हरि0/165/2014–15 | 108.37 | 12.73 | 95.64 | 12.73x9500x3% | 3628.00 |
| 15 | हरि0/163/2014–15 | 92.89 | 11.05 | 81.84 | 11.05x15200x3% | 5039.00 |
| 16 | हरि0/166/2014–15 | 98.32 | 11.28 | 87.04 | 11.28x11000x3% | 3722 |
| 17 | हरि0/164/2014–15 | 154.23 | 6.45 | 147.78 | 6.45x8500x3% | 1645 |
| 18 | हरि0/157/2014–15 | 48.79 | 0.64 | 48.15 | 0.64x6700x1% | 43 |
| 19 | हरि0/158/2014–15 | 158.21 | 15.89 | 142.32 | 15.89x6100x1% | 969 |
| 20 | हरि0/189/2014–15 | 122.67 | 14.66 | 108.01 | 14.66x17480x1% | 2563 |
| 21 | हरि0/94/2014–15 | 111.48 | 10.61 | 100.87 | 10.61x7705x1% | 818 |
| 22 | हरि0/188/2014–15 | 92.00 | 33.06 | 58.94 | 33.06x12650x1% | 4182 |
| 23 | हरि0/135/2013–14 | 98.10 | 9.73 | 88.37 | 9.73x880x3% | 2569 |
| 24 | हरि0/134/2013–14 | 103.98 | 12.37 | 91.61 | 12.37x8800x3% | 3266 |
| 25 | हरि0/146/2013–14 | 116.12 | 4.19 | 111.93 | 4.19x8805x3% | 1107 |
| 26 | हरि0/116/2013–14 | 22052 | 974.73<br>2332.13 (प्राइवेट रोड) | 1874 | 974.73x3000x22% | 58484 |
| 27 | हरि0/158/2013–14 | 130.064 | 15.489 | 114.575 | 15.489x8805x3% | 4091 |
| 28 | हरि0/153/2013–14 | 113.15 | 12.82 | 100.33 | 12.82x6850x3% | 2635 |
| 29 | हरि0/155/2013–14 | 152.85 | 12.35 | 140.50 | 12.35x8700x3% | 3223 |
| 30 | हरि0/163/2013–14 | 139.39 | 13.26 | 126.13 | 13.26x7700x3% | 3063 |
| 31 | हरि0/12/323/2015–16 | 95.91 | 7.31 | 88.16 | 7.31x44940x1% | 3285 |
| 32 | हरि0/16/2016–17 | 111.149 | 7.069 | 104.08 | 7.069x19000x3% | 1477 |
| 33 | हरि0/48/2016–17 | 83.64 | 1.37 | 82.27 | 1.37x14000x1.10x3% | 633 |
| 34 | हरि0/98/269/2015–16 | 119.88 | 6.86 | 113.03 | 6.86x14000 x 1.1x3% | 3169 |
| 35 | हरि0/179/2014–15 | 229.37 | 13.25 | 216.12 | 13.25x9200x1% | 1219 |
| 36 | हरि0/153/2014–15 | 83.54 | 6.30 | 77.24 | 6.30x6720x3% | 1270 |
| 37 | हरि0/156/2014–15 | 92.88 | 5.72 | 87.16<br>75.74 | 17.14x194400x1% | 3332 |
| 38 | हरि0/215/2010–11 | 1112.26 | 72.23 | 1040.03 | 72.23x20200x2% | 29182 |
| 39 | हरि0/173/2014–15 | 185.85 | 11.43 | 174.42 | 11.43x13000x3% | 4458.00 |
| | हरि0/181/2014–15 | 167.19 | 27.00 | 140.19 | 27.00x15600x3% | 12636.00 |
| 40 | हरि0/29/2014–15 | 4384.22 | 471.47 | 9313.04 | 471.47x10000x3% | 141441.00 |
| 41 | हरि0/113/2015–16 | 459.97 | 9.95 | 450.02<br>437.03 | 9.95x7000x1.10x3%<br>12.99x7000x1-10x3% | 2298.00<br>3001.00 |
| 42 | हरि0/114/2015–16 | 499.68 | 9.94 | 489.74<br>442.18 | 9.94x7000x3%<br>47.56x7000x1.10x3% | 2296.00<br>10986.00 |
| 43 | हरि0/154/2013–14 | 110.53 | 9.15 | 101.38 | 9.15x8000x3% | 2196.00 |

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

448

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | हरि0/122/2013–14 | 92.93 | 11.05 | 81.88 | 11.05x95000x3% | 3149.00 |
| 45 | हरि0/386/2013–14 | 177.14 | 20.43 | 156.71 | 20.43x8000x3% | 4903.00 |
| 46 | हरि0/36/2012–13 | 4818.705 | 307.768 | 4510.937 | 307.76x4200x1% | 12926.00 |
| 47 | हरि0/156/2013–14 | 326.59 | 53.07 | 273.52 | 53.07x18800x2% | 19954.00 |
| 48 | हरि0/150/2013–14 | 166.27 | 11.43 | 154.84 | 11.43x13200x2% | 1509.00 |
| 49 | हरि0/151/2013–14 | 92.90 | 8.84 | 84.06 | 8.84x6300x3% | 1671.00 |
| 50 | हरि0/126/2013–14 | 232.50 | 16.70 | 215.80 | 16.70x6930x1% | 1157.00 |
| 51 | हरि0/136/2011–12 | 115.33 | 11.70 | 103.63 | 11.70x3800x1% | 445 |
| 52 | हरि0/321/2015–16 | 492.56 | 31.29 +82.53 113.82 | 378.74 | 13.82x26000x1.3x2% | 76942 |
| 53 | हरि0/291/2015–16 | 96.18 | 4.84 | 91.34 | 4.84x9000x3% | 1437 |
| 54 | हरि0/299/2015–16 | 92.93 | 10.67 | 82.26 | 10.67x8000x1.15x1% | 982 |
| 55 | हरि0/296/2015–16 | 130.02 | 22.57 | 107.45 | 22.57x9000x1% | 2031 |
| 56 | हरि0/13/2016–17 | 83.64 | 3.66 | 79.98 | 3.66x13200x1% | 483 |
| 57 | हरि0/35/2016–17 | 97.46 | 12.91 | 84.55 | 12.91x12000x1.1x1% | 1704 |
| | हरि0/42/2016–17 | 249.07 | 42.26 | 206.81 | 42.26x15000x1.10x1% | 6973 |
| 58 | हरि0/29/2016–17 | 204.83 | 2.02 | 202.81 | 2.02x9000x1% | 200 |
| 59 | हरि0/23/2016–17 | 229.813 | 18.193 | 211.620 | 18.193x15000x1.1x1% | 3002 |
| 60 | हरि0/98/2014–15 | 192.37 | 9.673 | 182.70 | 9.673x8500x1.15x3% | 2837 |
| 61 | आर0एस0–10/15/2013–14 | 167.28 | 13.26 | 154.02 | 13.26x10000x1% | 1326 |
| 62 | आर0एस0–09/14/2013–14 | 167.28 | 50.64 | 116.64 | 50.64x10000x1% | 5064 |
| 63 | आर0एस0–08/15/2013–14 | 145.28 | 26.16 | 119.12 | 26.16x14000x1% | 3662 |
| 64 | आर0एस0–17/15/2013–14 | 121.89 | 2.60 | 119.29 | 2.60x14000x1% | 364 |
| 65 | आर0एस0–28/15/2014–15 | 178.09 | 35.35 | 142.79 | 35.35x17000x1% | 6010 |
| 66 | आर0एस0–19/15/2015–16 | 451.48 | 27.49 | 423.99 | 27.49x17000x1% | 4673 |
| 67 | आर0एस0–18/15/2015–16 | 69.65 | 6.49 | 63.16 | 6.49x17000x1% | 1103 |
| 68 | आर0एस0–9/15/2015–16 | 524.04 | 130.27 | 394.67 | 130.27x23800x2% | 26010 |
| 69 | मान0कन0/105/2015–16 | 59.84 | 10.88 | 48.96 | 10.88x5050x3% | 1648 |
| 70 | मान0कन0–125/2015–16 | 92.93 | 11.05 | 81.86 | 11.05x5500x3% | 1823 |
| 71 | | 63.32 | 4.27 | 59.05 | 4.27x14000x3% | 1972 |
| 72 | मान0रूड़की0/1012/15–16 | 89.38 | 18.06 | 70.32 | 18.06x3450x1% | 623 |
| 73 | मान0रूड़की0/1013/15–16 | 92.70 | 2.46 | 90.24 | 2.46x15500x1% | 381 |
| 74 | मान0रूड़की0/1016/15–16 | 74.81 | 25.31 | 49.50 | 25.31x12000x2%+20% | 7289 |
| 75 | मान0रूड़की0/1017/15–16 | 55.77 | 15.47 | 40.30 | 15.47x3450x1% | 534 |
| 76 | मान0रूड़की0/1018/15–16 | 108.45 | 23.64 | 84.81 | 23.64x8000x1% | 1891 |
| 77 | मान0रूड़की0/1019/15–16 | 139.28 | 21.81 | 117.47 | 21.81x8500x1% | 1854 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | मान0रूड़की0 / 1020 / 15–16 | 55.75 | 13.50 | 42.25 | 13.50x3450x1% | 466 |
| 79 | मान0रूड़की0 / 1021 / 15–16 | 90.125 | 3.890 | 86.235 | 3.890x5000x1% | 194 |
| 80 | मान0रूड़की0 / 1022 / 15–16 | 95.67 | 12.54 | 83.12 | 12.54x10000x1% | 1254 |
| 81 | मान0रूड़की0 / 1023 / 15–16 | 95.67 | 12.54 | 83.12 | 12.54x10000x1% | 1254 |
| 82 | मान0रूड़की0 / 1024 / 15–16 | 107.63 | 7.65 | 99.98 | 7.65x12000x2%+20% | 2203 |
| 83 | मान0रूड़की0 / 1025 / 15–16 | 139.29 | 18.83 | 120.47 | 18.83x5000x1% | 942 |
| 84 | मान0रूड़की0 / 1026 / 15–16 | 217.47 | 50.02 | 167.45 | 50.02x4000x1%+40% | 2801 |
| 85 | मान0रूड़की0 / 1027 / 15–16 | 155.05 | 37.36 | 117.69 | 37.36x12000x2%+20% | 10760 |
| 86 | मान0रूड़की0 / 1029 / 15–16 | 110.43 | 41.66 | 68.775 | 41.66x3450x1% | 1437 |
| 87 | मान0रूड़की0 / 13 / 2014–15 | 55.48 | 16.29 | 39.19 | 16.29x7000x1% | 1140 |
| 88 | मान0रूड़की0 / 14 / 2014–15 | 139.20 | 13.32 | 125.88 | 13.32x14000x1% | 1865 |
| 89 | मान0रूड़की0 / 15 / 2014–15 | 95.30 | 12.35 | 82.95 | 12.35x30000x1%+15% | 4261 |
| 90 | मान0रूड़की0 / 167 / 14–15 | 82.52 | 10.02 | 72.50 | 10.02x14000x1% | 1403 |
| 91 | मान0रूड़की0 / 17 / 14–15 | 176.770 | 28.119 | 148.651 | 28.119x17000x1% | 5497 |
| 92 | मान0रूड़की0 / 19 / 14–15 | 194.66 | 37.5 | 157.16 | 37.5x6000x1% | 2250 |
| 93 | मान0रूड़की0 / 20 / 14–15 | 198.36 | 22.41 | 175.95 177.95 | 24.41x10000x1% | 2441 |
| 94 | मान0रूड़की0 / 21 / 14–15 | 18.56 | 17.91 | 100.56 | 17.91x6000x1% | 1075 |
| 95 | मान0रूड़की0 / 25 / 16–17 | 117.26 | 13.46 | 103.80 | 13.46x5000x1%+10% | 673 |
| 96 | मान0रूड़की0 / 163 / 16–17 | 101.05 | 3.69 | 97.36 | 3.69x7500x1%+10% | 304 |
| 97 | मान0रूड़की0 / 164 / 16–17 | 172.75 | 67.91 | 104.82 | 67.91x95000x1%+10% | 6451 |
| 98 | मान0रूड़की0 / 166 / 16–17 | 100.36 | 3.07 | 97.29 | 3.07x8000x1% | 246 |
| 99 | मान0रूड़की0 / 173 / 16–17 | 185.26 | 6.30 | 178.96 | 6.3x8500x1%+10% | 589 |
| 100 | मान0रूड़की0 / 174 / 16–17 | 172.75 | 67.91 | 104.82 | 67.91x9500x2%+15% | 14838 |
| 101 | मान0रूड़की0 / 165 / 16–17 | 136.46 | 13.25 | 123.21 | 13.25x5000x1%+10% | 128 |
| 102 | मान0रूड़की0 / 180 / 16–17 | 103.98 | 11.17 | 92.81 | 11.17x5000x1%+10% | 559 |
| 103 | मान0रूड़की0 / 181 / 16–17 | 71.685 | 10.736 | 60.949 | 10.736x7500x1%+10% | 886 |
| 104 | मान0रूड़की0 / 183 / 16–17 | 195.07 | 18.56 | 176.51 | 18.56x4400x1% | 817 |
| 105 | मान0रूड़की0 / 168 / 16–17 | 600.70 | 44.25 | 556.45 | 44.25x5000x1%+10% | 2434 |
| 106 | मान0रूड़की0 / 187 / 16–17 | 47.48 | 10.48 | 37.00 | 10.48x17000x1% | 1782 |
| 107 | मान0रूड़की0 / 169 / 16–17 | 111.52 | 18.84 | 92.68 | 18.84x17000x1% | 1413 |
| 108 | मान0रूड़की0 / 189 / 16–17 | 115.19 | 32.60 | 82.59 | 32.60x15500x1%+10% | 5558 |
| 109 | मान0रूड़की0 / 190 / 16–17 | 101.59 | 7.78 | 83.81 | 7.78x2%x10% | 2054 |
| 110 | मान0रूड़की0 / 171 / 14–15 | 125.46 | 11.06 | 114.399 | 11.06x6200x1%+15% | 789 |
| 111 | मान0रूड़की0 / 108 / 14–15 | 111.54 | 31.225 | 80.299 | 31.225x23000x1%+15% | 2155 |
| 112 | मान0रूड़की0 / 82 / 2014–15 | 58.08 | 24.723 | 33.357 | 24.723x23000x1% | 6539 |
| 113 | मान0रूड़की0 / 73 / 2014–15 | 139.22 | 13.32 | 125.88 | 13.32x14000x1% | 1865 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
ड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

AE
सहायक अभियन्ता हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | मान0रूड़की0/14/2014–15 | 101.64 | 4.68 | 96.96 | 4.68x1200x1% | 56 |
| 115 | मान0रूड़की0/06/2015–16 | 101.44 | 6.46 | 94.98 | 6.46x16500x1%+10% | 1172 |
| 116 | मान0रूड़की0/195/16–17 | 185.77 | 52.26 | 133.51 | 52.26x8500x1% | 4442 |
| 117 | मान0रूड़की0/161/16–17 | 94.33 | 31.84 | 62.49 | 31.84x7000x1%+15% | 2563 |
| | | | | | योग | 487995/– |

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से 2012–13 में भी आपत्ति संख्या–2 सन्निहित धनराशि रु0. 1,04,243–00 अंकित है। जिसका परिपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय उपविभाजन (सबडिवीजन शुल्क) मार्ग प्रभावित क्षेत्र को छोडकर लिया जाता है। क्योंकि मार्ग प्रभावित क्षेत्र की गणना भवन निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी तरह से नहीं की जाती है। भवन मानचित्र में प्लाट का भूखण्ड क्षेत्रफल की गणना मार्गाधिकार क्षेत्र को घटाकर ही किया जाता है तथा समस्त शुल्कों एंव तकनीकी गणना यथा ग्राउण्ड कवरेज एफ0ए0आर0 आदि की देयता भी मार्गाधिकार क्षेत्र को घटाने के पश्चात ही दिया जाता है। चूंकि मार्गाधिकार वाले क्षेत्रफल पर आवेदक को मानचित्र स्वीकृति में कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता जिस कारण उक्त क्षेत्र पर देय उपविभाजन शुल्क से मुक्त रखा जाता है। ताकि आवश्यकता पडने पर मार्ग की चौंडाई में उसका उपयोग किया जा सके। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति क्रमांक–11.

**प्राधिकरण द्वारा बेचे गए भूखण्डों के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार की धनराशि नहीं लिए जाने से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति :–**

आवास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 152/9–आ0–1–1998 दिनांक 15 जनवरी 1998 के प्रस्तर –5 (छ) में विकास प्राधिकरणों द्वारा बेचे जाने वाले भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाए जाने तथा उक्त अधिभार की शत–प्रतिशत राशि को अवस्थापना विकास निधि में जमा किए जाने का प्राविधान था। प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक फेज–1, इन्द्रलोक फेज–1 (हाउसिंग) एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत 30 जुलाई 2017 तक विक्रय किए गए भूखण्डों पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार वसूल नहीं किए जाने से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति हुई थी। विवरण निम्नवत हैः–

| क्र0 सं0 | योजना का नाम तथा भूखण्ड का विवरण | भूखण्डों की एरिया | दर (प्रति वर्ग मी0) | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | इन्द्रलोक आवासीय योजना भूखण्ड संख्या 99 एल. (एल0आई0जी0 72 वर्ग मी0) | 1 | 2155000 (नीलामी) (आरक्षित मूल्य रू0 986976) | 2155000 |
| | भूखण्ड संख्या –108 एल0 ( भूखण्ड संख्या –108 एल0 ) | 1 | 1400000 (नीलामी) (आरक्षित मूल्य रू0 986976) | 1400000 |
| | भूखण्ड संख्या–125 | 1 | 7837 | 940440 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (एम0आई0जी0–ए0 120 वर्ग मी0 ) | | | |
| 4 | भूखण्ड संख्या –122 (एम0आई0जी0–ए0 120 वर्ग मी0 भूखण्ड संख्या –122 ) | 1 | 7837 | 940440 |
| 5 | ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम हतु भूखण्ड 4/40 (200 वर्ग मी0) | 1 | 13605 | 2721000 |
| 6 | ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम हतु भूखण्ड 3/18 (400 वर्ग मी0) वास्तविक 462@20692 | 1 | 20692 | 9559704 |
| 7 | ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम हतु भूखण्ड 4/4,2,3 (200 वर्ग मी0) | 3 | 20692 | 12415200 |
| 8 | ट्रांसपोर्ट ऑफिस 1/1 (200 वर्ग मी0)<br>20.034 1/19<br>20.034 1/34<br>20.034 1/36<br>20.034 1/43 | 1 | 13605<br>20692<br>20692<br>20692<br>20692 | 3599860 |
| 9 | स्पेयर पार्ट शाप 5–1/33,1 | 1 | 15640 | 312800 |
| 10 | (200 वर्ग मी0) 20.034 | 1 | 13605 | 272100 |
| 11 | स्पेयर पार्ट शाप 5–1/46,47,27,3,11 | 4 | 20692 | 1655360 |
| 12 | (200 वर्ग मी0) 20.034 | 1 | 20692 | 413840 |
| 13 | शोरूम 1/5,3,2 (116 वर्ग मी0) | 3 | 20692 | 7227198 |
| 14 | साईट प्लान के अनुसार वर्ग मी0 115.805 1/3 @20692<br>वर्ग मी0 117.13 1/5 @20692<br>वर्ग मी0 116.34 1/2 @20692<br>349.275 | योग<br>10% | | 39612316.00 |
| 15 | | | | 3961232.00 |
| 16 | श्यामलोक (व्यवसायिक भूखण्ड 24.23) | 1 | | 1810000 नीलामी (आरक्षित मूल्य 1073656 था 20,10,000 नीलामी) |
| 8 | (व्यवसायिक भूखण्ड 23.22) | 1 | | (आरक्षित मूल्य 10,93,627.00) |
| | | | योग | 5,16,80,137–00 का 10% |

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से 2012–13 में भी अधिभार न लिए जाने के कारण 0. 2,46,93,154–00 की क्षति हुई थी।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है भवन भूखण्ड आवंटन/मूल्यांकन नियमावली जो शासन द्वारा निर्गत हैं तथा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त नियमावली में सम्पत्तियों के विक्रय पर अवस्थापना मद हेतु 10% अधिभार लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अवस्थापना विकास निधि मद की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 152 दिनांक 15.01.1998 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा किया गया है जबकि भूखण्ड आवंटन मूल्यांकन नियमावली शासनादेश 4049 दिनांक 20.10.1999 (छायाप्रति संलग्न) जिसे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है। चूंकि अवस्थापना विकास निधि की स्थापना हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप के पश्चात सम्पत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता के दृष्टिगत सभी अभिकरणों में एकसमान विधि अपनाये जाने के निर्देश हैं जिस कारण इससे पूर्व के निर्गत समस्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में वर्णित सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत अधिभार शुल्क लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–12.

**स्वीकृत मानचित्र में अंकित नेट प्लाट एरिया को कम दर्शाये जाने से सब–डिविजन शुल्क रू0 2,220 कम वसूल किया गया।**

पत्रावली संख्या मानचित्र हरिद्वार/S.W/56/14-15 द्वारा श्रीमती शोभना गोस्वामी पत्नी श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी खता नं0 201 ख खसरा नम्बर –238 ग्राम हनुमान गढ़ी, मौजा, जगजीतपुर मुस्तहकम, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार का आवासीय मानचित्र आवेदन की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञा दिनांक 26.11.14 को निर्गत किया गया। रसीद संख्या 700/28 रू0 22583 एवं रसीद संख्या 698/3.11.14 रू0 135 द्वारा मानचित्र शुल्क, विकास शुल्क एवं सबडिवीजन शुल्क (रू0 135+7859+14724) जमा किया गया था। स्वीकृत मानिचत्र में नेट प्लाट एरिया 87.16 वर्ग मीटर अंकित था, जबकि प्राधिकरण द्वारा सबडिवीजन शुल्क 75.74 वर्ग मीटर पर आरोपित किया गया था।

| आरोपित किया गया शुल्क | वास्तव मानचित्र के अनुसार लिया जाने वाला शुल्क | कम आरोपित |
|---|---|---|
| 75.74 वर्ग मी0 x 19440 x 1% | 87.16 x 19440x1% | |
| = रू0 14724/- | = रू0 16944/- | = रू0 2220/- |

कम वसूल की गयी सबडिवीजन शुल्क की वसूली अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कम वसूल की गयी सबडिविजन शुल्क की राशि रू0. 2220–00 प्राधिकरण कोष में रसीद संख्या.................. दिनांक 09.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) को जमा किया जा चुका है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

443

आपत्ति कमांक–13.

**मानचित्र पंजिका में पायी गयी अनियमिता ।**

मानचित्र पंजिका के अवलोकन में निम्न कमियां पायी गयी।

**ऋषिकेश**

1. वर्ष 2013–14 में कुल पृष्ठ 140 थे। प्रयोग किया गया था। पृष्ठ 10 पंजिका 130 पृष्ठ अवशेष था। (पृष्ठ संख्या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित वहीं किया गया था। वर्ष 2015–16 कुल पृष्ठ 280 प्रयोग किया गया। 22 पृष्ठ अवशेष पृष्ठ –258, वर्ष 2016–17 कुल पृष्ठ – 246 प्रयोग किए गए पृष्ठ – 46 अवशेष पृष्ठ 200
**इस प्रकार वर्ष 2013–14 में 7.14 प्रतिशत, 2014–15 में 8.53 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 7.86 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 18.70 प्रतिशत ही पंजिका प्रयोग में लायी गयी थी। प्रत्येक वर्षों हेतु अलग–अलग मानचित्र पंजिकाएं अनुरक्षित करने का औचित्य नही है। अलग–अलग वर्षों हेतु पंजिका अनुरक्षित किए जाने के औचित्य स्पष्ट किया जाए। मितव्ययिता की दृष्टि से एक ही पंजिका में प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है।**

2.

| मानचित्र स्वीकृति का कम संख्या | वर्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,8,9,12,14,15,16,18,19,20 आदि। | 2013–14 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |
| 1,2,3, से 8, 10, 15, 17, 21 | 2014–15 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |
| 1 से 17, 19 से 21, 23, 26 से 30 आदि | 2015–16 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |
| 4 से 82 | 2016–17 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |

3.

| मानचित्र स्वीकृति का कम संख्या | वर्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 16,17,22, | 2013–14 | सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपूर्ण प्रविष्टि की गयी है। |
| 5,8 से 11, 33, 37 | 2014–15 | सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपूर्ण प्रविष्टि की गयी है। |
| 22, 24 से 26, 28, 29, 32 | 2015–16 | सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपूर्ण प्रविष्टि की गयी है। |
| 1, 5 से 8, 48, 73 | 2016–17 | सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपूर्ण प्रविष्टि की गयी है। |

उक्त कार्य को पूर्ण कर अवलोकित कराया जाना अपेक्षित है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
ह-रूड़की विकास प्राधिक
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

हरिद्वार

| स्वीकृत/अस्वीकृत मानचित्र का कमाक | वर्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1,6,28,29,39,42 से 44, 47,51,56,63,67,77,84,86 आदि | 2013–14 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |
| 64,176,224 | 2014–15 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |
| ,214,223,236,239,262,266,287,296,298 , 308,311, 336, 341, 342, 346, 353 | 2015–16 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |
| 5,6,8,10,11,12,15,19,22,23,24,26,27,30, 32,35,38 से 41,45,46,48 से 51, 55, 58, 59 61, 62, 64, 65 आदि | 2016–17 | स्वीकृत /अस्वीकृत मानचित्र को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित नहीं किया गया था। |

सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित /हस्ताक्षरित कराया जाना अपेक्षित है।

वेभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि मानचित्र पंजीकायें अनुरक्षित करते हुए सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/अवलोकित कराकर सम्परीक्षा दल को सम्परीक्षा के दौरान अवलोकित करा दिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–14.

**आवेदन प्राप्ति की तिथि से पूर्व लागू सर्किल रेट के आधार पर शमन शुल्क आगणित किए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रू0 7.46 लाख**

रसीद संख्या 63/13 दिनांक 23.02.2016 द्वारा स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, भारत माता जनहित ट्रस्ट हरिद्वार कलां (देहरादून) के शमन मानचित्र पत्रावली संख्या नो0/हरि0/36/2012–13 में लिए गए निर्णय के कम में कुल आगणित राशि रू0 9,30,144/– को अवशेष राशि रू0 2,30,144/– जमा थी। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि ट्रस्ट के द्वारा दिनांक 14–05–2012 को मानचित्र शमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा शमन नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रू0 16,76,476/– शुल्क आरोपित किया गया। उक्त धनराशि एवं सप्ताह में जमा न कराए जाने की स्थिति में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि जमा कराए जाने हतु पत्र संख्या 589 दिनांक 18–05–12 एवं पत्र संख्या 836 दिनांक 06–06–12 प्रेषित किए गए। ट्रस्ट द्वारा रसीद संख्या 640/16 दिनांक 23.07.12 द्वारा मात्र रू0 7,00,000/– जमा कराते हुए अपने पत्र दिनांक 23.04.2011 को देय दरों के आधार पर शुल्क जमा कराने का अनुरोध किया गया। ट्रस्ट के उपरोक्त अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण द्वारा माह अप्रैल 2011 में लागू सर्किल रेट के आधार पर शमन शुल्क का पुनर्निधारण करते हुए रू0 16,76,473/– के स्थान पर रू0 9,30,144/– आगणित कर उपरोक्तानुसार धनराशि जमा

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
रिद्वार-रूड़की विकास प्राधि
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

करायी गयी तथा पत्रांक 2980/नो0/हरि0/36/2012–13 दिनांक 03–03–2016 द्वारा शमन आदेश पारित कर दिए गए।

दोनों आगणनों की जांच में पाया गया कि दिनांक 14–5–12 के आवेदन के आधार पर माह नवम्बर 2011 से लागू सर्किल रेट रू0 10000/– प्रति वर्ग मी0 लेते हुए शमन शुल्क आगणित किया गया था, जबकि ट्रस्ट के पूर्व आवेदन दिनांक 23–04–2011 के आवेदन के आधार पर माह नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2011 तक निर्धारित सर्किल रेट य0 4200/– प्रति वर्ग मी0 लेते हुए शमन शुल्क आगणित किया गया था।

दिनांकः– 23–04–2011 की मूल प्रति पत्रावली में उपलब्ध नही थी। मात्र छायाप्रति संलग्न थी, जिससे ट्रस्ट द्वारा वास्तव में उक्त दिनांक को शमन आवेदन की गयी पुष्टि नहीं हो सकी। पुनः यदि शमन आवेदन दिनांकः– 23–04–11 को प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त था तो प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जानी अपेक्षित है। एक वर्ष तक प्रकरण लंबित रखा गया, जिससे सम्बन्धित ट्रस्ट को लाभ पहुंचाने (निर्माण हेतु शमन) का लक्ष्य परिलक्षित होता है।

पुनः उल्लेखनीय है कि दिनांक 23–04–11 को ट्रस्ट द्वारा शमन आवेदन के साथ संलग्न मानचित्र (छायाप्रति) में प्लाट एरिया, रोड वाइडनिंग एरिया, पुराना निर्मित एरिया, कम्पाउन्डिंग एरिया, ग्राउण्ड कवरेज तथा पार्किंग एरिया कमशः 6341 वर्ग मी0, 79.484 वर्ग मी0, 454–233 वर्ग मी0, 2356.137 वर्ग मी0, 19.759 प्रतिशत तथा 1061.876 वर्ग मीटर अंकित थे, जबकि ट्रस्ट द्वारा मानचित्र में कमशः 5096 वर्ग मी0, 307.768 वर्ग मीटर, 336.14 वर्ग मी0, 2141.11 वर्ग मीटर, 18.069 प्रतिषत एवं 876.71 वर्ग मीटर अंकित था। प्राधिकरण द्वारा शमन शुल्क की समस्त गणनाएं(मूल एवं संशोधित) दिनांक 14.05.2012 के आवेदन के साथ संलग्न मानिचत्र के आधार पर की गयी है। प्राधिकरण कार्यालय के डाक प्राप्ति पंजिका के अनुसार भारत माता जनहित ट्रस्ट द्वारा शमन आवेदन पत्र एवं मानचित्र प्राधिकरण में दिनांक 05–12–11 को जमा कराया गया था। 05–12–2011 से पूर्व आवेदन पत्र प्राप्त होने की पुष्टि प्राधिकरण अभिलेखों से नहीं हुई। अतः आवेदन प्राप्त होने की तिथि को निर्धारित सर्किल रेट लेते हुए ही शमन राशि आंगणित की जानी अपेक्षित थी। जबकि प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से पूर्व लागू सर्किल रेट लेते हुए रू0 930144/– जमा कराए गए जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को 16,76,473–930144 = 7,46,329/– की आर्थिक क्षति हुई। उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

<u>विभाग का उत्तरः–</u>

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत शमन आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2011 के आधार पर ही की गयी है। जो पत्रावली पर संलग्न है। सामान्यतः अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी दस्तावेज जो अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जाते है। वह पीठासीन अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान ही सम्बन्धित को उपलबध करा दिये जाते हैं। इसी कारण प्राधिकरण के प्राप्ति पंजीकाओं में इनका अंकन नहीं होता है। तद्नुसार की गयी शमन गणना नेयमानुकुल है शमन आवेदन पत्र नये सर्किल रेट लागू होने से पूर्व का है। जिस कारण पुराने सर्किल दर के आधार पर शमन गणना की गयी है जो उचित है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति कमांक–15.

**सब डिविजन शुल्क कम दर से लिए जाने के फलस्वरूप रू0 4,242/– की आर्थिक क्षति।**

मानचित्र हरिद्वार एसडब्ल्यू 135/13–14 श्रीमती रश्मि सक्सेना पत्नी श्री शरद कुमार सक्सेना प्लाट नं0 79 खसरा नं0 161, 162 मि0 मोहल्ला पुरूषोत्तम विहार कालोनी कनखल परगना ज्वालापुर जिला/तहसील हरिद्वार का मानचित्र आवेदन शुल्क रसीद संख्या 672 दिनांक 7.10.13 द्वारा रू0 135.00 जमा करने के उपरान्त विकास शुल्क रू0. 18285 (1.25 वर्ग मी0 @ 146) सबडिविजन शुल्क रू0 23330 (88.37 वर्ग मी0@8800x3%) (9.73 वर्ग मी0 आर0डब्ल्यू एरिया घटाते हुए) कुल रू0 41615 रसीद संख्या 673/09 दिनांक 8.10.13 को जमा किए जाने के उपरान्त कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के पत्रांक संख्या 2590 /मान0/हरि0/एस0डब्ल्यू–135 /13:14 (5) दिनांक 8.10.13 द्वारा निर्गत/स्वीकृत किया गया था)

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि श्रीमती रश्मि सक्सेना पत्नी श्री शरद कुमार सक्सेना निवासी शेखपुर, कनखल परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार। दिनांक 14.3.13 श्रीमती आशा रानी मेहता पत्नी श्री जोगेन्द्र मेहता निवासी महानिर्वाणी अखाड़ा, बंगाली मोड हरिद्वार से क्रय किया गया। विक्रीत भूखण्ड 1056 वर्गपुर यानि 98.14 वर्ग मीटर सर्किल दर शा0सं0–682 /2011/xxvii(9) स्टाम्प 80/2009 जो 1 अप्रैल 12 से 31 अक्टूबर 13 तक प्रभावी था, के अनुसार पृष्ठ 2 कमांक नं0 17 के अनुसार 10, 400/– प्रति वर्ग मीटर था की दर से स्टाम्प शुल्क रू0 38300/– का भुगतान किया था। जबकि प्राधिकरण द्वारा सबडिविजन शुल्क पृष्ठ संख्या 14 कम संख्या 15 पर अंकित रू0 8800 प्रति वर्ग मी0 की दर से आरोपित किया गया था।

इस प्रकार रू0 1600 प्रति वर्ग मी0 (10400–8800) कम दर से सबडिवीजन शुल्क 88.37X1600 X3 % = रू0. 4242/– आरोपित किए जाने से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति हुई थी।

नियमों के परिप्रेक्ष्य में रू0 8800 प्रतिवर्ग मीटर की दर से सबडिविजन शुल्क आरोपित किए जाने की पुष्टि करायी जाए।

**विभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सबडिवीजन के प्रकरणों में मानचित्र आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि/गणना करने की तिथि में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल दर अनुसूची में अंकित दरों के अनुसार ही शुल्कों को आरोपित किया जाता है न की विक्रय विलेख में उल्लिखित दरों के अनुसार। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित भूमि मूल्य सर्किल दर के अनुसार ही आरोपित किया गया है जोकि उचित एंव नियमानुकुल हैं। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति कमांक–16.

**कब्रिस्तान (पाण्डेवाला, ज्वालापुर) में 15 कब्रिस्तान बैंच लगाए जाने पर अनियमित व्यय रू. 120,000/–**

चैक संख्या 722636 दिनांक 22.02.17 द्वारा मै0 आश्रय इन्डस्ट्रीज हरिद्वार को पाण्डेवाला ज्वालापुर स्थित कब्रिस्तान में 15 आर0सी0सी0 बैंच की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु कुल रू0 120000/– के सापेक्ष आयकर 2 प्रतिशत एवं जमानत 7.5 प्रतिशत कटौती उपरान्त रू0 108600/– भुगतान किया गया था। कब्रिस्तान के सौन्दर्यीकरण /अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण के उद्देश्यों /दायित्वों में सम्मिलित नहीं है। अतः कब्रिस्तान में बैन्च लगाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय रू0 1,20,000/– पूर्णतः अनियमित था।

**वेभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ही व्यापक जनहित में प्रश्नगत कार्य को कराया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा प्राधिकरण के दायित्वों में सम्मिलित है। किया गया भुगतान नेयमानुकुल है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–17.

**मै0 पुरूषोत्तम इन्डस्ट्रीज लि0 की भूमि पर बिना आवश्यक पुष्टि किए आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया जानाः–**

रसीद संख्या 34/87 दिनांक 03–07–15 द्वारा रूड़की ग्राम सुनेहरा में श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल एवं पुत्रगण के आवासीय तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सापेक्ष विकास शुल्क रू0 13,79,931 तथा अवशेष आवेदन शुल्क रू0 95000/– कुल रू0 1474931 जमा कराए गए थे। पत्रावली की जांच में पाया गया कि आवेदकों द्वारा ग्राम सुनहेरा रूड़की के खसरा नं0 111,114,115,117 एवं 118 कुल रकबा 21770 वर्ग मीटर पर 19990 वर्ग मीटर आवासीय तलपट मानचित्र हेतु आवेदन किया गया था। नोटशीट पृष्ठ संख्या 13 एवं 14 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार खसरा नं 118 रकबा 1.4540 हेक्टेयर भूमि में पुरूषोत्तम इन्डस्ट्रहज लि0 के स्वामित्व में थी। उक्त कम्पनी के मेमोरन्डम आफ आर्टिकल्स एवं आर्टिकल्स ऑफ एसो0 पत्रावली में संलग्न नही थे। नोटशीट पृष्ठ संख्या 14 के बिन्दु संख्या 2 के कम में मै0 पुरूषोत्म इन्डस्ट्रीज लि0 के बोर्ड आफ, उक्त अग्रवाल एवं विजय अग्रवाल के हस्ताक्षरण थे, जिसमें इन तीनों द्वारा स्वयं को मै0 पुरूषोत्तम इन्डस्ट्रीज लि0 रूड़की का मालिका, स्वामी व निदेशक बताते हुए प्रमाणित आवासीय तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गयी। कम्पनी के मैमोरण्डम आफ आर्टिकल्स एवं आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के अभाव में उपरोक्त तीनों कम्पनियों का निदेशक होने की पुष्टि नही हो सकी। बिना पुष्टि किए मानचित्र स्वीकृत किया जाना नियमाकूल नहीं था। पुनः उपरोक्त के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को प्रेषित पारित प्रस्तावित की प्रति भी प्राप्त नहीं गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त तलपट मानचित्र में सीवर ट्रीटमेंट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

**वेभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है (सहा0अभि0 एम0)

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

438

आपत्ति कमांक–18.

**सबडिविजन शुल्क कम क्षेत्रफल पर वसूल किए जाने से रू0 200/– क्षति**

मा0 रूड़की /आर0एस0–21/14–15 मै0 हनीफ पुत्र स्व. श्री असरफ अली मै0 किला, मंगलौर/रूड़की हरिद्वार का मानचित्र स्वीकृत किया गया था। सबडिविजन शुल्क 175.95 वर्ग मी0 पर आरोपित किया गया था। (175.95x 10000x1%=17595) स्वीकृत मानचित्र में नेट प्लाट एरिया 177.95 वर्ग मी0 था, जिसके आधार पर 177.95 x 10000x1% = 17795/- प्राधिकरण द्वारा वसूल किया जना था। प्राधिकरण द्वारा रू0 200/– कम जमा कराया गया था।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि कम जमा सबडिविजन शुल्क रू0. 200–00 प्राधिकरण कोष मे रसीद संख्या 154/11 दिनांक 10.04.2018 द्वारा जमा करा दिया गया है। प्रायाप्रति सुलभ संदर्भ संलग्न है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति कमांक–19

**वर्कचार्ज कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी) को 01–01–2006 से ग्रेड वेतन 1800/– का वित्तीय लाभ दिए जाने के फलस्वरूप वेतन भत्तों का अधिक भुगतान :– (रू0 1499,913.00)**

आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 18/वी–2–2014–198(आ0) /2007 दिनांकः– 11.02.2014 एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 17–10–2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 57 (20) के कम में 01 वर्कचार्ज लिपिक एवं 13 वर्कचार्ज चपरासी कुल 14 वर्कचार्ज कार्मिकों को 01–01–2006 से लागू छठे वेतनमान का लाभ दिनांक 01–01–2006 से अनुमन्य कराया गया था।

| क0सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री विनय कुमार सक्सेना | (वर्कचार्ज लिपिक) |
| 2. | श्री विजय बहादुर | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 3. | श्री राज बहादुर | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 4. | श्री मुकेश जोशी | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 5. | श्री नरेन्द्र कुमार | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 6. | श्री राजेन्द्र मिश्रा | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 7. | श्री मुकेश शर्मा | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 8. | श्री शिव शंकर | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 9. | श्री ज्ञान सिंह | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 10. | श्री राघव राम | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 11. | श्री नन्दन सिंह नेगी | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 12. | श्री महेन्द्र कुमार | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 13. | श्री संजय कुमार | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 14. | श्री सत्यकुमार | (वर्कचार्ज चपरासी) |
| 15. | श्री शंभू सिंह | (दैनिक वेतन चपरासी) |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
द्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

उपरोक्त कार्मिकों को 01.01.2006 से छठे वेतनमान के अन्तर्गत 01.01.2006 से 31.03.14 तक अवशेष वेतन देयक तैयार कर प्रथम किश्त का भुगतान 14.11.2014 को रू0 1465130/– दिनांक 02–09–15 को द्वितीय किश्त रू0 1465130/– तक 30.07.16 को तृतीय किश्त रू0 1465130/– कुल रू0 43,95,390/– का भुगतान किया गया था।

वेतन एरियर बिल की जांच में पाया गया कि समस्त कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2006 से आवास भत्ते का भुगतान पुनरीक्षित दरों (ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत) से किया गया था। जो दरें दिनांक 01.04.2009 से अनुमन्य थी। इस प्रकार 01.01.2006 से 31.03.2009 तक आवास भत्ते के एरियर का अनियमित भुगतन किया गया था।

पुनः वर्कचार्ज चपरासियों को 01–01–2006 से ग्रेड वेतन 1800 का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया था, जबकि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को ग्रेड वेतन 1800 का नोशनल लाभ दिनांक 01–01–2006 से तथा वास्तविक/द्वितीय लाभ दिनांक 24.03.2011 से ही देय था। इस प्रकार उक्त कार्मिक को 01–01–2006 से 23.03.2011 तक अनियमित रूप से वित्तीय लाभ प्रदान कर वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया गया।

1. श्री विनय कुमार सक्सेना (वर्कचार्ज लिपिक)
   01.01.2006 से 31.03.2009 तक
   आवास भत्ता
   देय–230
   दत्त–950
   अन्तर 720/– प्रतिमाह की दर से 39 माह हेतु रू0 28080/– का अधिक भुगतान किया गया।

2. **वर्कचार्ज चपरासियों के अधिक भुगतानः–**
   संलग्न विवरणानुसार 13 वर्कचार्ज चपरासियों को रू0 99944/– प्रति कर्मचारी की दर से कुल रू0 12,99,272/– का अधिक भुगतान किया गया।
   इसी प्रकार नियमित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को भी शा0सं0–877/xxvii(7)/2011 वित्त अनुभाग–7 दिनांक 24.3.11 द्वारा ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये जाने पर दिनांक 24.3.11 से वित्तीय लाभ न देकर दिनांक 1.1.2006 से लाभ अनुमन्य किया गया था। कार्मिकों का नाम निम्नवत था–

| क0 सं0 | नाम | ग्रेड वेतन | मू0 वेतन | अधिक भुगतान/संलग्नानुसार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री भुवन चन्द्र पन्त, चतुर्थ श्रेणी | 1650 | 6530 | 12043 |
| 2 | श्री दीपक कुमार , चतुर्थ श्रेणी | | 6270 | 13272 |
| 3 | श्री शिवनारायण पाण्डे, चतुर्थ श्रेणी | 1650 | 6270 | 13272 |
| 4 | श्री दुर्गा बहादुर थापा, चतुर्थ श्रेणी | 1650 | 6270 | 13272 |
| 5 | श्री अशोक कुमार तिवारी, चतुर्थ श्रेणी | 1650 | 6270 | 13272 |
| 6 | श्री ललित कुमार, चतुर्थ श्रेणी | 1300 | 5940 | 40506 |

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अधीक्षण अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | श्री किशन स्वरूप सिंह, चतुर्थ श्रेणी | 1650 | 6020 | 13272 |
| 8 | श्री पदम कुमार, चतुर्थ श्रेणी | 1300 | 5840 | 40380 |
| 9 | श्री अशोक कुमार , चतुर्थ श्रेणी | 1650 | 6270 | 13272 |
| | | | | 1,72,561 |

संलग्न विवरणानुसार रू0 1,72,561 का अधिक भुगतान किया गया है।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना सम्बन्धित उक्त कार्मिको से अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली मासिक किस्तो में उनके वेतन से कटौति करते हुये किये जाने सम्बन्धित आदेश कार्यालय पत्र संख्या–74 दिनांक 07.04.2018 द्वारा निर्गत करते हुये माह अप्रैल 2018 से किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। तद्नुसार संदर्भित आपत्ति निपेक्षित किये जाने योग्य है ।

आपत्ति क्रमांक–20.

सेवा पुस्तिका अपूर्ण रहना

निम्नलिखित सेवा पुस्तिका जो सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी थी। निम्न तिथियों के बाद वार्षिक वेतन की प्रविष्टियां नहीं की गयी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री शिशुपाल सिंह, सर्वेयर | 1.7.16 | 11470+430+2800 |
| 2 | श्री ललित कुमार, चपरासी | 1.7.16 | 9070+2400 (8730+340) |
| 3 | श्री राकेश कुमार, लिपिक | 1.7.16 | 1200+490+4200 |
| 4 | श्री अजय कुमार, अवर अभियन्ता | 1.7.16 | 23970+920+6600 |
| 5 | श्रीमती सुशीला, सफाई कर्मचारी | 1.7.16 | 5860+1800 |
| 6 | श्री विजय कुमार माथुर, अवर अभियन्ता | 1.7.16 | 29850+1130+7600 |

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्टि करते हुए सक्षम अधिकारी से सत्यापन करा दिया गया हैं। जिसका अवलोकन सम्परीक्षा दौरान सम्परीक्षा अधिकारी को कराया जा चुका है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति क्रमांक–21.

**भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा की कटौती न किया जानाः–**

आवास अनुभाग –2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 476/वी–2–201 (आ0) /14–2015 दिनांक 21–03–2016 द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण में लिपिक –01 एवं चतुर्थ श्रेणी –13 कुल 14 निःसंवर्गीय पदों की स्वीकृति के सापेक्ष निम्न लिखित वर्कचार्ज कार्मिकों को माह मई 2016 से नियोजित किया गया था।

| क0सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री विनय कुमार सक्सेना, | लिपिक |
| 2. | श्री विजय बहादुर, | चपरासी |
| 3. | श्री राजबहादुर, | चपरासी |
| 4. | मुकेश जोशी, , | चपरासी |
| 5. | नरेन्द्र कुमार, | चपरासी |
| 6. | राजेन्द्र मिश्रा, | चपरासी |
| 7. | मुकेश शर्मा, | चपरासी |
| 8. | शिव शंकर, | चपरासी |
| 9. | ज्ञान सिंह, | चपरासी |
| 10. | सत्य कुमार, | चपरासी |
| 11. | श्री राघव राम, | चपरासी |
| 12. | श्री नन्दन सिंह नेगी, | चपरासी |
| 13. | श्री महेन्द्र कुमार, | चपरासी |
| 14. | श्री संजय कुमार, | चपरासी |

माह अक्टूबर, 16 एवं मार्च , 17 में भुगतानित वेतन सम्बन्धी देयकों में पाया गया कि उपरोक्त कार्मिकों के वेतन से नियमानुसार भविष्य निधि (अंशदायी भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा की कटौतियां नहीं की गयी थी) कटौतियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**विभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त कार्मिको नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष की परविक्षा अवधि हेतु नियुक्त किया गया था, जिसकी अवधि माह मार्च 2018 में पूर्ण हो गयी है।क्रम संख्या–09 अंकित कार्मिक श्री ज्ञान माह मार्च 2017 में ही सेवा निवृत्त हो चुके है। शेष कार्मिको का माह अप्रैल 2018 से सी.पी.एफ. एवं जी.आई.एस. की कटौति सम्बन्धित कार्मिक के वेतन एवं प्राधिकरण अंशदान के रूप जमा करानी प्रारम्भ कर दी जायेगी, । अतः तद्नुसार संदर्भित आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

434

आपत्ति कमांक–22.

**टोएटा, इनोवा कार प्राधिकरण हेतु क्रय किए जाने में शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति का पालन नहीं किया जाना रू0 14,50,898/–**

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष हेतु क्रय इनोवा कार बिल नं NYLM/DIR/GOVT/JUL-16/6081 DT. 6.7.16 RS. 1450,897.35 ड्राफ्ट संख्या 160078/21.7.16 द्वारा प्रबन्धक मै0 टोएटा किलोस्कर मोटर प्रा0 लि0 यूबी सिटी, 10 फ्लोर केबै, ब्लाक 24 बिट्ठल माल्या रोड बैंगलौर को भुगतान किया गया था।

परिवहन अनुभाग–1 संख्या 169/ix-1/215/2011/ 2016 दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किया गया था, के प्रस्ताव–(b) में प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, एडीशनल चीफ आफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट एवं अन्य समकक्ष हेतु रू. 12 लाख, 3–(c) में विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष हेतु रू0 8.00 लाख अधिकतम वाहन क्रय मूल्य तक के वाहन अनुमन्य थे।

शासनादेशानुसार हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विभागाध्यक्ष की श्रेणी में आते हैं अतः शासनादेश की अनुमन्यता के सापेक्ष रू. 8.00 लाख से अधिक मूल्य का वाहन अनुमन्य नहीं था। प्राधिकरण द्वारा शासनादेश के विपरीत अधिक मूल्य के वाहन क्रय किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष हेतु क्रय किय गया वाहन (टोयटा ईनावा कार) प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण वाहनों को निष्प्रयोज्य एंव नीलामी व क्रय किये जाने हेतु अध्यक्ष /आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया है। उक्त वाहन प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष के प्रयोगार्थ उक्त वाहन क्रय किया गया है। यहॉ यह अवगत कराना है कि प्राधिकरण एक स्वात्यशासी संस्था है जिसके बोर्ड को प्राधिकरण हित में निर्णय लिये जाने का पूर्ण अधिकार है। अतः तद्नुसार उक्त आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

433

आपत्ति कमांक–23

**अर्थदण्ड / जुर्माने की धनराशि प्राप्त न किया जानाः–**

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए निर्णित वादों से सम्बन्धित पंजिका, मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 से जुर्माना प्राप्त पंजिका एवं मा. सी0जे0एम0 न्यायालय हरिद्वार में वादों के निस्तारण सम्बन्धी सूची दिनांक 22.03.2018 के अनुसार वर्ष 2012–13 व 2013–14 में रू0 89500/– तथा वर्ष 2016–17 से 22.03.18 तक रू0 149000/– कुल रू0 238500/– जुर्माना /परिवाद अर्थदण्ड के आदेश सीजेएम कोर्ट हरिद्वार द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पक्ष में पारित थे। उक्त अर्थदण्ड जुर्माने की राशि को न्यायालय से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, परन्तु इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26–04–2013 को प्राधिकरण रसीद संख्या 79/662 द्वारा वर्ष 2006–07 व 2007–08 में निर्णित परिकायों के सापेक्ष रू0 43000/– मात्र प्राधिकरण में प्राप्त थे। उक्त अवधि के उपरान्त निर्णित परिवादों से सम्बन्धित जुर्माने की राशि प्राधिकरण में प्राप्त नहीं थी। प्राधिकरण के पक्ष में लगाए गए जुर्माने/अर्थदण्ड की राशि माननीय न्यायालय से प्राप्त किए जाने हेतु शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सक्षम न्यायालय से परिवादो पर जुर्माने / अर्थदण्ड की धनराशि प्राधिकरण कोष में हस्तांतरित कराये जाने हेतु भिज्ञ कर्मचारी की तैनाती कर दी गयी है तथा कार्यालय आदेष संख्या–68 दिनांक 07.04.2018 के द्वारा प्राधिकरण अधिवक्ता एवं पैरोकार द्वारा न्यायालय में लम्बित अर्थदण्ड की धनराशि आदि वसूल किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। प्राधिकरण कोष में उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आगामी आडिट समीक्षा के दौरान अवलोकित करा दिया जायेगा।

आपत्ति कमांक–24

**सांसद निधि की अवशेष धनराशि रू0 257605/– सम्परीक्षा तिथि तक वापस नहीं किया जाना**

कार्यालय जिला ग्राम विकास अभिकरण, हरिद्वार के पत्रांक 1659/एमपी0 हैडस (रा0स0)/ श्री तरूण विजय जी /आगणन/2016–17 दिनांक 28.12.16 चैक संख्या 000009 दिनांक 1.12.16 द्वारा जनपद हरिद्वार में सामुदायिक प्लेट फार्म के निर्माण हेतु रू0 20.00 लाख अवमुक्त किया गया था। रू0 1742395.00 व्यय के उपरान्त रू0 257605 की धनराशि प्राधिकरण के पास संचित था, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया था। वापस लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि अवशेष धनराशि रूपये– 257605.00 चैक संख्या–.... 3389391दिनांक 07.04.2018 बैंकओरियेन्टल बैंक ऑफ कार्मस, मायापुर, हरिद्वार. के द्वारा परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार को वापिस कर दी गयी है। तद्नुसार संदर्भित आपत्ति निपेक्षित किये जाने योग्य है ।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति क्रमांक–25

**अस्थाई अग्रिम का समायोजन नही किया जाना रू0. 32,388/–**
**सम्परीक्षा में अस्थायी पंजीका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।**

आर्थिक चिट्ठा में श्री बलराम सिंह (अवर अभियन्ता) को दिये गये अस्थायी अग्रिम का असमायोजित धनराशि रू0. 32,388/– दर्शाया गया था। सम्परीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि असमायोजित थी। उक्त धनराशि वर्ष 2014–15 से असमायोजित चली आ रही थी, समायोजन कराया जाना अपेक्षित है। आर्थिक चिटठा (बैलेन्स सीट) के अनुसार निम्नवत् धनराशि वर्षान्त में असमायोजित चली आ रही दर्शायी गयी थी।

**हरिलोक अनुरक्षण/सर्वे कार्य हेतु अस्थायी अग्रिम :–**

| क0स0 | वर्ष | धनराशि |
|---|---|---|
| 01. | 2005–06 | 7500 |
| 02. | 2006–07 | 27500 |
| 03. | 2007–08 | 27388 |
| 04. | 2008–09 | 42388 |
| 05. | 2009–10 | 47388 |
| 06. | 2010–11 | 47388 |
| 07. | 2011 से 2013 | 47388 |
| 08. | 2013–14 | 47388 |
| 09. | 2014–15 | 32388 |
| 10. | 2015–16 | 32388 |
| 11. | 2016–17 | 32388 (आतिथि तक) |

**विभाग का उत्तरः–**

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि अग्रिम समायोजन हेतु कार्यालय पत्र संख्या–82 दिनांक 07.04.2018 निर्गत कराते हुये समायोजन विषयक कार्यवाही करायी जा रही है। आगामी सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा दल को अवगत करा दिया जायेगा।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति कमांक–26

**प्राधिकरण द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट प्रकिया का पालन नहीं किया जाना।**

शासनादेश संख्या 102/XXVII(7)/2011 दिनांक 06 जुलाई 2011 द्वारा अधिप्राप्तियों हेतु ई–प्रोक्योरमैंट व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश थे तथा रू0. 5.00 लाख अथवा ऊपर की धनराशि की समस्त सामग्रियों एंव सेवाएं एंव रू0. 1.00 करोड से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य शासनादेश संख्या 183/ XXVII(7)/2012 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त विभागों (समस्त नियमों को सम्मिलित करते हुए) में ई–प्रोक्योरमैन्ट सिस्टम लगू कयि जाने हेतु शासनदेश संख्या 102 में आंशिक संशोधन करते हुए रू0. 1.00 करोड़ के स्थान पर रू0. 25.00 लाख की सीमा निर्धारित की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या 405/ XXVII(7)/2013 दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा छोटे विभाग अभी ई–प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति हेतु तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हो पाने के कारण रू0. 25.00 लाख की सीमा को पूर्ववत् रू0. 1.00 करोड कर दिया गया था परन्तु विभागों को छूट थी कि वे उक्त सीमा से कम धनराशि की सामग्री अथवा निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति भी ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत हरिद्वार–ऋषिकेश एंव रूडकी क्षेत्र में 20 हाईमास्टों की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य हेतु रू0. 160.00 एंव रू0. 33.00 लाख 05 वर्षों हेतु अनुरक्षण के कार्य पर रू0. 198.00 लाख पी0एम0यू0 सैल द्वारा अनुमानित लागत का आगणन तैयार कर वित्तीय तकनीकी एंव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 02.11.2016 को रू0. 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

प्राधिकरण द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट से बचने के लिए प्रथम चरण में सचिव एंव अध्यक्ष निविदा समिति द्वारा अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 10 हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति एंव स्थापना कार्य हेतु दिनांक 09.11.2016 को स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका आंगणित लागत रू0. 69,49,900–00 था। मैसर्स गोवर्धन ट्रेडर्स कनखल हरिद्वार की 1.75% निम्न दर पर रू0. 68,28,277–00 में स्वीकृत किया गया था।

ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से कार्य नहीं कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति प्राधिकरण अवस्थापना विकास निधि मद से दिनांक 02.11.2016 में 20 हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एंव स्थापना के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। हाई मास्ट लाईटों की आपूर्ति एंव स्थापना जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार की जानी थी। तत्समय जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रथम चरण में 10 स्थानों पर ही हाई मास्ट लाईट की आपूर्ति एंव स्थापना का कार्य कराया गया। ई– प्रोक्योरमैंट नियमावली के अनुसार रू0. 1.00 करोड तक के कार्य सामान्य निविदा आमंत्रित करते हुए किये जाने तथा रू0. 1.00 करोड से अधिक की धनराशि के कार्य को ई–निविदा के माध्यम से कराये जाने का प्राविधान था। प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता के दृष्टिगत प्रथम चरण में 10 हाई मास्ट लाईटों की आपूर्ति एंव स्थापना का कार्य कराया गया। प्रश्नगत कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित किये जाने की बाध्यता नहीं थी। अतः तद्नुसार कार्य में प्रोक्योरमैन्ट नियमावली का पुर्णतः पालन किया गया तथा अधिप्राप्ति नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार ही निविदा आमंत्रित करते हुए कार्य कराया गया। यहां यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य की अनुबन्ध धनराशि रू0. 68.28 लाख है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति कमांक–27

अनुच्छेद–5

**नोटिस एंव शमन की कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से किया जाना**

नोटिस एंव शासन की कार्यवाही/सील की कार्यवाही भवन तैयार होने के बाद की जाती है। प्राधिकरण में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनायी गयी है जिससे किसी स्थान /व्यक्ति के प्लाट विशेष पर मानचित्र स्वीकृति की स्थिति ज्ञात हो सके।

शमन की कार्यवाही होने के बाद प्रतिवादी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दिये जाने के समय केवल शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाता हैं शमन भाग पर क्या कार्यवाही की गयी की स्थिति अस्पष्ट रहती है।

विभाग का उत्तरः–

संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्राधिकरण का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होने तथा तकनीकी एंव अन्य स्टाफ की कमी के कारण शमन स्वीकृति/मानचित्र स्वीकृति की स्थिति एक स्थान पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्राधिकरण कार्यालय में वर्षवार वाद एंव मानचित्र पंजीकाएं उपलब्ध हैं जिसमें समस्त प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट हैं दिनांक 01.07.2017 से मानचित्रों की स्वीकृति ऑनलाईन प्रारम्भ की गयी है। जिसमें समस्त डाटा एक स्थान पर एकत्र है। मैम व क्वपदह ठपेपईस ऑफ के अन्तर्गत प्राधिकरण कार्यालय को ई0आर0पी0 शॉल्यूशन में परिवर्तित करने की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी है ।वर्तमान समय में अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी की गयी समस्त कार्यवाहियों का डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है। प्राधिकरण का क्षेत्र समस्त हरिद्वार जनपद के साथ–साथ देहरादून, टिहरी, एंव पौडी गढवाल क्षेत्र मे स्थापित हैं इतने बडे क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रारम्भ से वर्ष 2017 तक 06 अवर अभियन्ताओं के पदों का ही सृजन किया गया था जोकि कभी सम्पूर्ण पद एक साथ कार्यरत नहीं थे। प्राधिकरण का पुर्नगठन माह दिसम्बर 2017 में किया गया है। जिसमें अन्य कार्मिकों के साथ 14 अवर अभियन्ताओं का पद सृजन किया गया है। जिसके सापेक्ष 09 वर्तमान तक रिक्त हैं। प्रश्नगत तैनाती शासन स्तर से की जानी है जिसे समय–समय पर शासन को संदर्भित किया जा रहा है ।

## हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा

वर्षः– 2011–12 एवं 12–13

आपत्ति संख्या–1 एवं 10

**स्वीकृत मानचित्र पत्रावलियों पर भू–स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न न होना।**

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भू–स्वामित्व की पुष्टि खसरा खतौनी की प्रति प्राप्त करके ही मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं। यद्यपि उपरोक्त आपत्ति में वर्णित प्रकरणों में खसरा खतौनी /दाखिल खारिज की प्रति अतिथि तक भी पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी तथापि कोई विवाद प्रकाश में नहीं आया। अतः भविष्य में बिना अभिलेखिय पुष्टि के मानचित्र स्वीकृत न किए जाने के प्रतिबद्ध के साथ आपत्ति को निस्तारित किया जा सकता है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सम्बद्ध अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति संख्या–2 –

**सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र पर सबडिविजन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रू0 1,04,243.00:–**

वर्ष 2013–14 से 2016–17 की आ0सं0–10 में अग्रेनीत कर लिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–3 –

**हरिलोक अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय रू0. 10,62,108.00**

वर्ष 2013–14 से 2016–17 की आ0सं0–06 में अग्रेनीत कर लिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या –4 –

**अध्यक्ष/आयुक्त कैम्प कार्यालय /आवास की रंगाई पुताई पर अनियमित व्यय रू0 88,972.00**

संदर्भित देयक आयुक्त गढ़वाल मण्डल/अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित है एवं आयुक्त महोदय के आदेशों के कम में भुगतान किया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–5 –

**विलम्ब दण्ड की वसूली न किया जाना**

सहायक अभियन्ता की आख्यानुसार कार्य स्वीकृत तिथि के अन्दर ही पूर्ण किया गया था। अतः विलम्ब दण्ड वसूली योग्य नहीं था। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–6 –

**मानिचत्र आवेदन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रू0 10,495.00**

वर्ष 2013–14 से 2016–17 की आ0सं0–09 में अग्रेनीत कर लिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–7 –

**हरिलोक अनुरक्षण शुल्क की राशि विलम्ब से जमा किया जाना**

हरिलोक अनुरक्षण शुल्क की राशि विलम्ब से जमा किया जाना सम्बन्धित कार्मिक को भविष्य में ऐसा न किए जाने हेतु सचेत कर दिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–8 –

**सब स्टैण्डर्स कार्य हेतु दण्ड आरोपित न किया जाना है।**

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पीडब्ल्यूडी मानकों के अनुसार कार्यों को स्वीकृत करते हुए आवश्यक कटौती अपरान्त भुगतान किया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या– 9 –

1. **भवन निर्माण अग्रिम की वसूली न किया जाना**

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

श्री मामचन्द, अवर अभियन्ता से अग्रिम की वसूली कर ली गयी है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

**2. भवन निर्माण अग्रिम की वसूली न किया जाना**

श्री राजीव दीक्षित, सहायक अभियन्ता को वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अनुपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

आपत्ति संख्या–11 –

**सब डिविजन शुल्क कम लिया जाना रू0 1979.80**

कम वसूल किया गया सब डिविजन शुल्क सम्परीक्षा तिथि तक सम्बन्धित आवेदक से वसूल नहीं किया गया था। अनुपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

आपत्ति संख्या– 12 –

**विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी न किया जाना।**

जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्राधिकरण के विज्ञापनों को वापस अपने स्तर से प्रकाशित कराए जाने हेतु प्रेषित किए जाने के कारण विज्ञापन सीधे प्रकाशित कराए गए। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

विभाग का उत्तरः–

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि समाचार पत्रों द्वारा प्राधिकरण को व्यवसायिक गतिविधियों वाला विभाग माना जाता है जिस कारण उनके द्वारा दिये गये रेट पर विज्ञापनों का प्रकाशन नही किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये रेटों पर विज्ञापन प्रकाशन कराये जाने का प्रयास कराया गया है किन्तु समाचार पत्रों द्वारा इसे प्रकाशित नही किया गया हैं जिसकारण प्राधिकरण की योजना परियोजना में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सूचना महानिदेशक उत्तराखण्ड से आवश्यक पत्राचार भी किया गया जिसमें महा निदेशक सूचना द्वारा उक्त कारणों से समाचार पत्रों को विज्ञापन प्रकाशन किये जाने से मना करने पर विभागीय स्तर से प्रकाशन कराये जाने हेतु सूचित किया गया। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित हैं। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है ।

आपत्ति संख्या–13 –

**शमन मानचित्र निर्गत न किया जाना।**

वाद शमन उपरान्त विपक्षी से शपथ पत्र प्राप्त करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किये जा रहे हैं। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
द्वार-खड़की विकास प्राधिक
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-खड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-खड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति संख्या–14–

**परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने की घनराशि प्राप्त न किया जाना।**

वर्ष 2013 से 2016–17 के आपत्ति सं0–23 में अग्रेनीत कर लिय गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–15 –

**पार्किंग स्थल की अनुपलब्धता पर शमन शुल्क न किए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रू0 69,89,112.00**

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में तद्समय लागू उपविधियों के अनुसार पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं था। उसी आधार पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पार्किंग शमन शुल्क न लिए जाने हेतु आदेशित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है। अनुपालन अप्रेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

आपत्ति संख्या–16 –

**प्राधिकरण निधि का दुरूपयोग रू0 24,10,016.00**

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भू–स्वामित्व की पुष्टि क्षेत्र ग्राम पंचायत ढालवाला एवं उपजिलाधिकारी नरेन्द्र कुमार से प्राप्त आवश्यक प्रमाण पत्र एवं पुष्टि प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया गया था।

परन्तु भवन उपविधियों के विपरीत सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया जाना प्राधिकरण निधि का दुरूपयोग था। अनुपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

प्रश्नगत निर्माण ततसमय लागू भवन उपविधियों के अनुरूप ही प्रस्तावित किया गया था जिसकी स्वीकृति आयुक्त, गढवाल मण्डल गढवाल क अध्यक्षता में गठित अवस्थापना विकास निधि समिति द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में ही प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया गया जिसमें प्राधिकरण निधि का कोई दुरूप्योग नही हुआ है। कार्य क्षेत्रीय जनता के निरन्तर मांग एंव उनकी आवश्यक के दृष्टिगत ही कराया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधि
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति संख्या–17 –

**इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग)**

बोर्ड बैठक दिनांकः– 27.05.2013 में चर्चा न होने के कारण आगामी बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित था। निर्णय की स्थिति अवगत नहीं करायी गयी। अनुपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य हेतु यह कहना कि उक्त भवनों का निर्माण निहित स्वार्थवश किया गया है का कथन स्वीकार नहीं है एंव निराधार है। ज्ञात्वय है कि दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण में प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता है अपितु प्राधिकरण द्वारा संदर्भित योजना मद से उक्त भवनों के निर्माण में नियमानुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा भवनों का विक्रय मूल्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही तय किया जाता हैं। साथ ही साथ अवगत कराना है कि दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा जारी बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जाता है लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निजी भू–स्वामियों से भी उक्त श्रेणीयों के भवनों के निर्माण की बाध्यता है। जहां तक रू0. 60,000–00 वार्षिक पारिवारिक आमदनी का प्रश्न हैं इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के प्रारम्भ से ही पारिवारिक आमदनी के पुर्न निर्धारण का अनुरोध बोर्ड के माध्यम से किया जाता रहा है निरन्तर अनुरोध के उपरान्त अत्यन्त विलम्ब से शासन द्वारा पारिवारिक न्यूनतम आय रू0. 60,000–00 से रू0. 2,00,000–00 शासनादेश संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत की जा चुकी है। अवगत कराना है कि 48 भवनों में से सांसद/विधायक/सरकारी कर्मचारी/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/पत्रकार/भूतपूर्व सैनिक या ऐसी आरक्षित श्रेणी जिनकी आय सीमा निर्धारित न्यूनतम आय सीमा से अधिक है की आरक्षण व्यवस्था होने के कारण उनका आवंटन नहीं हो पाया हैं शेष भवनों का आवंटन किया जा चुका है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति संख्या–18 –

**बेचे गए भूखण्डों के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रू0 2,46,93,154.00**

वर्ष 2013–14 सो 2016–17 की आपत्ति संख्या–11 में अग्रेनित कर लिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–19 –

**अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी वादों की स्थिति**

वादों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण की समीक्षा बैठक दिनांक 17.07.13 में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। अतः तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–20 –

**विनियमितीकरण से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान रू0 7,01,481.00**

श्री आनन्द राम आर्य, सहायक अभियन्ता हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनकी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया परन्तु प्राधिकरण द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ उक्त आपत्ति को सन्दर्भित नहीं किया गया था। अनुपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

आपत्ति संख्या–21 –

**अशोक कुमार तुम्बड़िया के अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में हुए व्यय रू0. 6,20,720.00 प्रतिपूर्ति न किया जाना।**

अशोक कुमार तुम्बड़िया के अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में हुए व्यय रू0 6,20,720.00 की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा नहीं की गयी। अ नुपालन अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः–

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के अशमनीय भाग को वेशेषज्ञ संस्था भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान रूडकी से आवश्यक विचार विमर्श एंव सलाह प्राप्त करते हुए उनकी सलाह के अनुसार अशमनीय भाग का ध्वस्तीकरण चयनित वास्तुविद के माध्यम से कराया गया है। ध्वस्तीकरण पर होने वाले व्ययभार की वसूली के रूप में रू0 16,50,160 की वसूली श्री अशोक कुमार तुम्बडिया से करी गयी है। वसूल की गयी धनराशि प्राधिकरण कोष में कार्यालय रसीद संख्या 698/6&52/32 दिनांक 22.10.14&18.12.15 द्वारा जमा करा ली गयी है। रसीद की छायाप्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। अतः तदनुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

आपत्ति संख्या–22 –

**वित्तीय स्थिति**

वर्ष 2013–14 से 2016–17 की आपत्ति संख्या–08 में आपत्ति अग्रेनीत कर दी गयी है। अतः तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

आपत्ति संख्या–23 – **राजकीय अनुदान**

वर्ष 2013–14 से 2016–17 की आपत्ति संख्या–08 में आपत्ति अग्रेनीत कर दी गयी है। अतः तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जा सकती है।

16/04/18 16/04/18

| शा0अधि0 | सहा0अभि0 | अधि0अभि0 | मु0वि0अधि0 | सचिव |
|---|---|---|---|---|
| सक्षम प्रशासनिक अधिकारी रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार | सहायक अभियन्ता हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार | | मुख्य वित्त अधिकारी हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार | सचिव हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार |

Scanned with CamScanner